Vol. 5, No. 4
October - December, 2017
ISSN : 2321-5607

SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES

A Quarterly Refereed Journal

CITE THIS "VOLUME AS 5, NO. 4 SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES"

(October to December, 2017)

@Publishers

The "Socio-Economic Perspectives" Journal is published quarterly. Contributions to the Journal are invited in the form of articles, notes and case comments. Contributions to the Journal should be sent as an attachment to this mail id: **socioecopj2015 @gmail.com**

Akhil Bhartiya Samajik Vikas Evam Kalyan Samiti shall be the sole copyright owner of all the published material. Apart from fair dealing for the purposes of research, private study or criticism, none of the part of this Journal may be used in any form whatsoever without prior written permission from the publisher.

The editors, publishers and printers shall not be responsible, in any case, for the views/research papers/articles/book reviews given by the contributors. Contributors are completely responsible for any type of plagiarism or errors, if found.

Published by

Prof. A.N. Singh
Editor-in-Chief
Socio-Economic Perspectives Journal
An Official publication of
Akhil Bhartiya Samajik Arthik Vikas Samiti
1/135, Viram Khand, Gomti Nagar,
Lucknow (U.P.)- 226010, India
e-mail: socioecopj2015 @gmail.com

Printed By

Shivam Printers
C-165, Nirala Nagar, Lucknow.

SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES
(A QUARTERLY REFEREED JOURNAL)

Editorial Board

Patron
Prof. R.P. Singh
Former Vice-Chancellor, University of Lucknow, Lucknow

Editor-in-Chief
Prof. A.N. Singh

Managing Editor
Dr. Vivek Kumar Singh

Executive Editor
Dr. Muhammad Nayim
Dr. Ashish Ranjan

Assistant Executive Editors
Dr. Archana Singh
Dr. Chet Narayan Patel
Dr. Leena Singh
Dr. Shikha Singh
Dr. Santosh Kumar

SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES
(A QUARTERLY REFEREED JOURNAL)

Article Review & Advisory Board

Prof. Balraj Chauhan
Former Vice Chancellor,
Ram Manohar Lohia,
National Law University, Lucknow

Prof. A.K. Singh
Vice-Chancellor,
Shri Ram Swaroop Memorial University,
Lucknow.

Prof. A.B. Singh
Department of Sociology &
Social Work,
Banaras Hindu University, Varanasi

Prof. R.B.S. Verma
Ex-Head,
Department of Social Work,
University of Lucknow

Prof. Sanjay Bhatt
Ex-Head, School of Social Work
Delhi University, Delhi

Prof. A.N. Singh
Ex-Dean, Faculty of Social Work,
M.G. Kashi Vidyapeeth, Varanasi

Prof D.K. Singh
Head,
Department of Social Work
University of Lucknow

Dr. Shailja Singh
Head,
Department of Sociology & Social Work
D.S.M.N.R. University, Lucknow

Prof. Ankur Saxena
Faculty of Social Work
The Maharaja Sayajirao
University, Baroda, Gujrat

Dr. Mridul Srivastava
Assistant Registrar,
R.M.L. National Law University,
Lucknow

Prof. Pratibha J. Mishra
Head, Department of Social Work
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya,
Bilaspur

Dr. Durgesh Kumar Srivastava
Assistant Professor,
Department of AIH & Archaelogy,
University of Lucknow

Dr. P.N. Pathak
Administrative Officer,
University of Lucknow, Lucknow

SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES
(A QUARTERLY REFEREED JOURNAL)

Volume 5, No. 4 (October to December, 2017)

Membership Fees

Membership	Individual	Institutional	Foreign
Annual	Rs. 1200/-	Rs. 2500/-	$100
Life Membership (Up to 10 Years)	Rs. 5000/-	Rs. 10,000/-	$200

* The draft or Cheque for member should be sent in favour of:

The Editor-in-Chief
Socio-Economic Perspectives Journal
1/135, Viram Khand, Gomti Nagar,
Lucknow (U.P.)- 226010

** The membership fees can also be deposited directly or through NEFT favour of :

The Editor-in-Chief
Socio-Economic Perspectives Journal
Bank: Indian Overseas Bank
Branch: BSIP (1873), University Road, Lucknow- 226007
SB Account Number: 187301000003252
IFSC: IOBA0001873
MICR: 226020021

Editorial correspondence should be addressed to:

Prof. A.N. Singh
Editor-in-Chief
Socio-Economic Perspectives Journal
1/135, Viram Khand, Gomti Nagar,
Lucknow (U.P.)- 226010, India
e-mail: socioecopj2015 @gmail.com

CONTENT

S. No.	Title of the Paper	Author	Page No.
1.	Role of Women CBOs in building drought resilience in the Community: A case study of Manpur Village (With Special Reference to Babina block of Jhansi District)	Shivani Agarwal Dr. Rupesh Kumar Singh	1
2.	Comparative Study Of The Educational Achievement Of Intermediate Students In Different Locale And Stream Of Education	Dr. Sunil Kumar Trivedi Anuradha Sharma	12
3.	The Poetry Of The Post-Independence Era	Dr. Faraz Alam	21
4.	Life Skills Development of Adolescent Girls	Dr. Neha Mishra	25
5.	लल्लूलाल और उनका प्रेमसागर	मनोज कुमार शुक्ल	30
6.	भारत में सामाजिक न्याय सहित आर्थिक विकास की आवश्यकता	डा0 बृजेन्द्र सिंह बौद्ध	34
7.	घरेलू हिंसा : एक सामाजिक समस्या	डा0 शान्ती स्वरूप	41
8.	मानव की मुक्ति का मार्ग	डा0 ज्योति वर्मा	49
9.	महिलाओं के सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका (उत्तराखण्ड की पहल संस्था के विशेष संदर्भ में)	डा0 वीरेन्द्र कुमार डा0 नीरजा सिंह	60
10.	राष्ट्र कल्याण में पं. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानवतावाद के सिद्धान्त की प्रासंगिकता	डा0 मुहम्मद नईम	83

ROLE OF WOMEN CBOS IN BUILDING DROUGHT RESILIENCE IN THE COMMUNITY: A CASE STUDY OF MANPUR VILLAGE

(WITH SPECIAL REFERENCE TO BABINA BLOCK OF JHANSI DISTRICT)

Shivani Agarwal*, Dr. Rupesh Kumar Singh**

Abstract

The author in this study has made an attempt to ascertain the role of Women Community Based Organizations (CBOs) in Drought Risk Reduction in the community. A Panchayat specific study was carried out in Manpur gram panchayat of Babina Block of Jhansi district in Uttar Pradesh part of Bundelkhand region which has been witnessing drought for more than two decades. Based on the data collected through focussed group discussions and key informant interviews, the study highlighted the formation of these CBOs and their role in information dissemination, comprehensive understanding of the risk and risk assessment, resource mobilization, support in communication with Govt. and assigning roles and responsibilities during crises and their role as "Change Agent" in making the Community drought resilient. It also provides some suggestions as to how CBOs can be better leveraged to build more resilient communities.

Keywords : *CBOs, Drought Resilience & Resilient Communities.*

* *Junior Research Fellow (Social Work), Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow. E-mail : shivani.wid@gmail.com*

** *Assistant Professor, Department of Sociology, Social Science and Social Work, Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow. E-mail: rupeshlko@gmail.com*

Introduction

Disasters, whether natural or man-made affects the normal functioning of the community. And the situation becomes more aggravated when the loss is not addressed at right time. The United Nations (UN) defines disaster as "a serious disruption of the functioning of society, causing widespread human, material or environmental losses which exceed the ability of affected society to cope using only its own resources" (UN 1992, 27).

India is prone to various kinds of disasters due to its varied topography. The diverse feature and the climatic conditions make its various states prone to multiple disasters. Thus, making the particular region more vulnerable.

The Bundelkhand region of India which is formed by 13 districts (6 districts of Uttar Pradesh state and 7 district of Madhya Pradesh state) is one recently emerged hotspot of drought. However, few villages of the region are also prone to flood. Floods impacts are visible and often addressed in time due to its distinguishing features, however the drought in the community is often addressed late as it's really difficult to distinguish drought for it has more long term affects. Also, the government indicator of drought that is scanty rainfall further puts limitation to the redressal of drought impacts. Since, the Bundelkhand soil is such that the percolation of water is very hard, which resists the fertility and the natural water absorption capacity of the region. This, in turn makes the area itself different to other areas when marked on the same drought parameters. Thus, the idea of "Community as the First Responder" very much fits in the drought impacts.

There are many Action Plans that have been charted out after repetitive deliberations and conferences at National & International level pertaining to Disaster Risk Reduction. Non-Governmental organizations and Community Based Organizations have been the parallel actors with government in filling the gap

between the action plan and its implementation. Thus, NGOs have been the major role player in reaching the government's plan to the ground. And the CBOs which are majorly the catalyst speedups the NGOs implementation.

This paper focuses on how community-based organizations of Manpur village evolved and respond in the recurring drought that community faces. The specific objective of this paper is to understand the role of women CBOs in developing the resilience amongst community against drought. Further attempt is made to suggest ways for appropriate interventions to leverage the CBOs and how government and policy makers can effectively use these resources to address the issue of drought timely and thus reduce the community vulnerabilities.

This paper is organized in different sections. Sections 2 deals with the methodology followed by drought profile of Manpur village in detail and highlights profile of Jhansi district based on secondary literature in section 3. In section 4, the reviews related to CBOs role have been discussed and in Section 5 the main observations made in the village such as the evolution of CBOs in Manpur Village and their role as a Change Agent have been discussed. The last section concludes how the CBOs could be leveraged as the First Responder and gaps can be fulfilled.

Methdology

This paper is built on a case study conducted in Manpur gram panchayat in Babina block of Jhansi district. The methodologies engaged in this study are key informant interviews and focus group discussions with Women, transect walk and observations. Besides collection of primary information, secondary sources were also referred to get insights and substantiate the arguments. The Role of NGO Parmarth that works in this village is focused and the case studies, the progress reports and interview with the director of Parmarth done is discussed in detail in this paper.

Profile of the Area

Jhansi district is a historic city in the Indian state of Uttar Pradesh. It is a part of the Bundelkhand Region. Its latitude and longitude extends from 25.4484'N to 78.5685' E. Total area of the district is 5024.0 Sq. Km. The percentage share of urban population in the district is 41.7 percent. It ranks 40th in terms of sex ratio (890) which is lower than the state average (912) female per thousand males. Jhansi district ranks 10th with 75% literacy rate but the female literacy rate that is 63.5%. The average size of households in the district is 5.4 persons.

Village Manpur is located in the Manpur Gram panchayats of Babina block of Jhansi district. This village is only 50 metres from the main road. It has total 446 HHs and the village is spread in 584.83 hectares. Manpur as per census 2011 has total population of 2,121 of which 1,099 are males and 1,022 are females

On the basis of the information collected from the key stakeholder- Pradhan Janaki Das Rajput the village is very much prone to drought. There were 3 droughts in last 2 decades, to mention the year the informant remembered it was 1980, 1981, 2003, 2016,. As a result of consecutive droughts in 2016 many street cows and buffaloes were visible. He said the villagers perceive drought as the natural phenomenon and the result of manmade activity. When there is water scarcity and crops fail they realize that it is drought. They are majorly affected in the form of water scarcity for agriculture and HH work, and migration or no crop production. Women's have to travel at-least 1 km to collect fuel & f odder. There are 60 BPL card holders in the village.

There is only 1 NGO Parmarth Samaj Sevi Sanstha headed by Mr. Sanjay Singh working in this village under which there are 3 SHGs of which community women are part of. There is 1 cooperative in Babina rural in which 70 people from the village are its members. Urea, DAP and wheat seeds are available through these cooperatives.

There are many water harvesting initiatives taken in the village under the umbrella of pani panchayats formed under the guidance of well know NGO that is Parmarth Samaj Sevi Sansthan, Jhansi. Many good stories of water harvesting from this village have gained popularity on the international platform and women like Geeta ji lead the panchayat in this village who is also the inspiration for nearby villages.

Importance of CBOs in DRR & Drought: A Review

CBOs are part of the civil society organizations that has a full range of formal and informal organizations. CBOs are mostly non-profit groups developed in the community to carry out voluntary activities for the development of the community and to improve the life for its residents. Frank and Smith (1990), said community based corporations [organizations] are locally based organizations whose explicit goal is to serve within communities that receive inadequate attention from government agencies and the private sector. CBOs often come into existence in local communities to provide public goods and resolve collective action problems where formal institutions fail or become inadequate (Putnam 2000, Coleman 1988, Ostrom 1990). The members of CBOs are related to each other in a variety of ways like caste, profession, business, similar interests or purposes etc. Silverman defined that community based organizations grow at a local level within a community. These organizations remain close to the persons they serve. According to Buxton and Prewitt (2003), a community based organization is comprised of a group of people with common interest living in a specific locality (contrary to an NGO that operates in a wider network). In the recent years, there is a renewed policy interest in community-based development initiatives (Mansuri and Rao,2004). They primarily provide social services to the communities on a voluntary basis. Hence, CBOs are largely dependent on voluntary contributions of labour, material and financial support from the community members they serve

and various donor agencies (Silverman, 2004). This interest is on the basic premises that community involvement in planning and implementation process ensures due consideration on available local resources, assured community support and ownership of the developmental activities by local community. It ultimately culminates in more effective and equitable development.In practice, such developmental initiatives are often channeled through Community Based Organizations (CBOs). Therefore, CBOs are gaining importance in the developing and underdeveloped countries where the government is unable to provide much needed social services, especially in rural areas (Edwardsth and Hulme 1995, Fafchamps 2006).

The below are the reviews that shows the role that women has played in reducing the impacts of disaster and how the NGOs intervention have strengthened their response and resilience actions.

Rao (1995) Ali found that the rural women during Bengal famine who were most vulnerable to food crisis particularly in Bihar and Bengal changed their role to primary decision makers and food procurers. They would doubtless be driven from wage labour to destitution, perhaps to migration to urban areas.

Gokhale (2008) Inculcating skills had been the most opted strategy by the NGOs to include women. Like number of NGOs in Maharashtra and Gujarat states of India who encouraged local women to participate in relief and recovery operations after earthquake occurrence. They made various groups to build the skills and capacities required to train the members for post disaster recovery to long-term development. His study concluded that women do possess capacities and can be a change agent. It further says that women had been the intermediaries and played the significant role in monitoring and management process in 1993 Latur earthquake and 2001 Bhuj earthquake.

P. Sainath (2016) The farmers in Nuapada, Orissa learned through NGOs Banabashi Sangha and Jagrut Shramik Sanghatan in 1990s the alternate income strategies. They practiced cultivation of Babul tree along the ridges of the field after massive deforestation in their area. This tree is a miracle tree for Kalahandi. It adds Rs. 5,000 to their annual income when practicing planned felling.

Chandran (2016) The women in Marathwada, Maharashtra up to a large extent have mitigated the drought impact at family level and have reduced their vulnerability as women and portrayed themselves as the change agent.

Thus, present study was conducted to look into the drought specific management capacities of women CBOs in Manpur village.

Role of Women CBOs in Manpur Village

1. **Formation & Strengthening of CBOs:** The CBOs which look into the water related challenges in Manpur village have been termed as "Pani Panchayat" and the women have been named as "Jal Sahelis". These CBOs came into existence as the result of an NGO, Parmarth Samaj Seva Sansthan's intervention in the village.

   These CBOs are almost 3 years old and involve only the community women of Manpur. Geetaji the wife of Gram Pradhan leads the CBO. There are total 3 CBOs in the village formed in different hamlets of the village. Initially the CBOs were led by Parmarths' facilitators and they also gave the handholding support to the CBOs to strengthen them. But as of now, these Pani Panchayats are self sustainable and the womens are vocal and empowered.

2. **Objective and Working of Pani Panchayats:-** These panchayats mainly have two objectives. First is to take water harvesting initiatives in the village mobilizing the resources and the second is to develop liasioning with the

government and have access to govt. programs especially those by the Ministry of Water Resources and the initiatives under MGNREGA.

3. **Role of Pani Panchayats in developing Resilience against drought:-** Jal Sahelis in Manpur village of Bundelkhand under the direction of Parmarth organization has ensured water availability in the village and efficient utilization of water. In few villages the farmers have been able to give crop harvest of up to Rs.30lakh where the Parmarth intervened. It was possible due to drought friendly strategy like - using drought resistant varieties, ponds rejuvenation and other water harvesting methods, using water friendly cropping techniques.

   These Jal Sahelis under the guidance of Parmarth took the initiative in formulating different water protection related plans and negotiating with government, taking training and motivating other women's to do same. Women folks have learnt to repair the hand pumps, and doing other small things. These Jal Sahelis even had an opportunity for exposure trip to Rajsathan where they learned the different water harvesting techniques, fencing etc. These womens are celebrated as the role models in taking water protection initiatives in several other villages of Jhansi. Panchayat leader like Geeta ji whose empowerment is the result of Parmarths intervention has represented the Pani Panchayats at International platforms too.

   As a result of Parmarth intervention and Panchayat leadership various Integrated Water Management Program, Gram Panchayat water protection program, etc have been implemented which resulted in the increased crop harvest and the upraised water level of wells and ponds. Parmarth has brought to the community various models such as Jal Saheli, water budgeting, As a result of knowledge transfer

the people have changed their crop calendar and also switched to drought resistant crops varieties.

These Pani Samiti have become the effective role player in mobilizing the villagers and training them in the development of village water protection plan and rejuvenating the ponds. Manpur village has become the role model for the other nearby villagers as a result the adjacent villagers have also started rejuvenating their ponds.

4. **Impact of Drought Resilient Actions on life of community women:** "Scientists are of the view that to save this region from the impact of drought the rejuvenation of ponds is utmost important". Parmarth has focused on the mutual effort model where the villagers mobilized the physical capital (community labor) and Parmarth supported financially.

A result of this motivation and effort one big Pond have been renovated which acts as the survival for the community and give a sigh of relief to the other street animals and also for the community livestock's who got access to water and could escape them from scorching heat of summers. Apart from this pond, various other private and shared wells have been also repaired and the government water line has also reached the village. This government water line which provides the sufficient water during winters and the pond acts as saviour during summers has also saved the water fetching time invested by women and reduced their travelling distance. Thus, women can now invest this time in some productive work and also are escaped from the violence and other crimes.

Conclusion: Filling the gaps and leveraging the CBOs for being the First Responders

CBOs are an integral part of daily life of local communities. As evident through the secondary review the CBOs due to their

proximity to the community have played the role of first responders to disasters. Their mobility and the access to various physical, social and economic resources has helped them in being accepted by the communities and preparing and implementing situation specific plans. The trust of the local communities on CBOs enabled them to mobilize resources from the local communities with ease. Being part of the community, CBOs were able to carry out hassle free deliveries of the relief materials. There training through NGOs further enhanced their capability and helped them deliver better.

Also, the CBOs in Manpur village have been an effective role player in reducing the drought impact in the village. Their traditional knowledge and technical support from Parmarth NGO has multiplied their voluntary services to the community and they emerged as the role model for the adjacent villages and have created success stories at the International platform.

However, there are many gaps visible in effectively utilizing these knowledgeable and skilled resources of the community. As analyzed from the FGDs done with the women it was found that these CBOs do not play any role in assessing the drought situation or providing any comments on the village situation. Also, the government initiatives in the village do not use these resources in planning or implementing water related programs.

It was also seen that Social inclusion is still a hindering factor in the development efforts of the government. Violence amongst the lower caste and the dominating groups exist in the community. The SCs/STs still are the last ones to enjoy the water related developments in the village due to casteism and class dominancy persisting in the community.

The village leaders in the community require sensitization and willingness to support the women folks in their water related actions. And the government should recognize these CBOs and include them in their village planning and program implementation.

This would result in the need specific deliveries and timely implementation thus reducing the drought impacts in the village.

References

- *Edwards, M., & Hulme, D. (1995). Non-governmental organizations: Performance and accountability. Beyond the magic bullet. Earthscan.*
- *Buxton. Charles and Prewitt, D. Geoffrey. (2003) .Community Based Organisations and the Elaboration of Pro- Poor Policy: Lessons from Research and Consultation in Georgia, Kyrgyzstan and Uzbekistan. UNDP.*
- *Mansuri, G., & Rao, V., (2003). Community-Based and Community Driven Development: A Critical Review, World Bank. doi: 10.1596/1813-9450-3209*
- *Khurana, Indra & Mahapatra, Richard (2008). Drought and Drinking Water Crisis in Bundelkhand. Water Aid.*
- *Gopinath, G.(2014). Impact of the 2004 Indian Ocean Tsunami along the Tamilnadu coastline: field survey review and numerical simulations. Natural Hazards 72, (pp 743-769)*
- *National Disaster Management Plan, 2016. A publication of the National Disaster Management Authority, GoI, 2016.*
- *P. Sainath (2016) Everyone Loves a Good Drought. Penguin Books (pp 92, 365, 369, 374, 424, 436).*
- *Putthiyottil, Chandran, Swayam Shikshan Prayog.(2016). Agricultural Practices in Drought Situation By Women Groups in Marathwada, Maharashtra. Huairou Commission, Women, Homes & Community.*
- *Bundelkhand Research Portal. Retrieved from (https://bundelkhand.in/info/food-insecurity-in-bundelkhand)*
- *https://www.unisdr.org/we/inform/terminology*
- *Jhansi district census book 2011.*

COMPARATIVE STUDY OF THE EDUCATIONAL ACHIEVEMENT OF INTERMEDIATE STUDENTS IN DIFFERENT LOCALE AND STREAM OF EDUCATION

Dr. Sunil Kumar Trivedi*, Anuradha Sharma**

Abstract

In the present study the researcher has discussed about Educational Achievement in Classroom studies. Discussion and results are about how Educational Achievement is shaped well in a controlled Classroom Environment. The results of the study focus that the female students in comparison to their male counterparts are better in their achievement and are sincere in maintaining a nourishing and healthy classroom environment for stable and better Educational Achievement.

Introduction

Education as a process largely depends on its proper execution by any of the institution providing it or either visualizing it by the students and doing self-study. In either of the ways discipline is inevitably significant. Discipline on the part of teacher or learner contributes towards Classroom Environment as well as Educational Achievement. Jones in this respect has rightly said that "The maintenance of an orderly system that creates the conditions in which learning takes place and that allows aims and objectives of the school to be achieved can be considered as disciplined condition for the school. "Smith and Rivera (1993) discussed that discipline does not have to result in a repressive climate where learners behave because they are afraid not to follow

* *Assistant Professor, Institute of Education, Bundelkhand University, Jhansi.*
** *Researcher, Institute of Education, Bundelkhand University, Jhansi.*

conduct code. More than that the primary purpose of the Education system is to teach the learner social and academic discipline. Discipline is paramount for every achievement and it is essential for every learner as well as also equally important for peace and harmony of any learning environment. It has been proved that the discipline element is important for better classroom achievement of the learners. Student self- discipline and class engagement play important role in learning and educational achievement inside the classroom. Students who are highly self-discipline may be able to focus better on long or even short-term goals and make better choices related to the education engagements.

Keywords: *Achievement and Classroom Discipline or Classroom Environment.*

Statement of the problem

Comparative study of Educational Achievement of the students at intermediate level.

Operational definition of the termsused in the problem

Education achievement

The variable of the study that is Educational Achievement has been measured by making the student solve the questions on the test named as General classroom achievement test. This questionnaire consisted of the different sets of questions based on the subject of 12th standard.

Objectives of the study

1. To study comparatively the Educational Achievement of the male and female students from the urban area and science stream at Intermediate level.
2. To study comparatively the Educational Achievement of the male and female students from the urban area and arts stream at Intermediate level.
3. To study comparatively the Educational Achievement of the male and female students from the rural area and science stream at Intermediate level.

4. To study comparatively the Educational Achievement of the male and female students from the rural area in Arts stream at Intermediate level.

Hypotheses of the study

1. There is no significant difference in the Educational Achievement of male and female students from the urban area and Science stream at Intermediate level.
2. There is no significant difference in the Educational Achievement of male and female students from the urban area Arts system at Intermediate level.
3. There is no significant difference in the Educational Achievement of male and female students from the rural area in Science stream at Intermediate level.
4. There is no significant difference in the Educational Achievement of male and female students from the rural area in Arts stream at Intermediate level.

Methodology used in the study

The researcher found that survey method was more suitable for this study so the present study was carried by applying the survey method and the method of research applied was descriptive in nature.

Tools used in the study

In the present study the researcher has designed a self -made questionnaire which is based on the variable educational achievement of the students. The test simply consists of the items which are related to the subject of the Intermediate level students and Items are marked as zero or one. That is simply correct answer or wrong answer.

Statistical techniques used in this study the most appropriate techniques used in this study were: Mean, Standard deviation and t-test.

Results and discussion

The results and discussions are according to the objectives and hypothesis of the study mentioned in this research paper:

1. **To study comparatively the Educational Achievement in the male and female students from the urban area in science stream at Intermediate level:**

The aim of this particular objective was to find achievements of male and female students from urban area in science stream at Intermediate level as derived from the data placed in the table 1 below. It is crystal clear that the mean scores of the female students from the urban area science stream are higher than the mean scores of male students from the urban area and science stream. Thus, after observing the table researcher on the basis of the data and reasonable justifications has concluded to reject the hypothesis that there is no significant difference in the educational achievement of the male and female students from the urban area and science stream at intermediate level is in the favour female students from urban area and science stream as they not only have a better understanding of the subject matter but also the level of motivation required to achieve high scores over the male students of urban area and science stream. Moreover, the calculated value of the t-ratio is 7.679 which is greater than the table value at the significant level of 0.05 that is 2.01 and 0.01 that is 2.68 which creates strong ground to reject the aforesaid hypothesis.

Table -1

Group	Locale	Stream	Mean	S.D.	Σd	D	T	Level of Significance	
Male	Urban	Science	231.8	11.05	2.943	22.6	7.679	0.05	2.01
Female			209.2	9.282				0.01	2.68

2. To compare the Educational Achievement of male and female students from urban areas in art stream.

Achievement is also attributed to learning conditions in a classroom environment if it is only about the educational

achievement the data in the table 2 below gives the mean scores of female students from urban area and clarifies that these scores are higher than the male students from the same area and stream. Therefore, it is firmed up that the learning influences the educational achievement of a student. Here, the calculated value of t ratio is 5.440 which is greater than the table value at the significant level of 0.05 that is 2.01 and 0.01 that is 2.68. Hence, the hypothesis that there is no significant difference in the educational achievement of the male and female students from the urban area in Arts stream at intermediate level is rejected justifiably.

Table - 2

Group	**Locale**	**Stream**	**Mean**	**S.D.**	Σ_d	**D**	**T**	**Level of Significance**	
Male	Urban	Arts	178.2	10.027	2.647	14.4	5.440	0.05	2.01
Female			163.8	8.231				0.01	2.68

3. **On calculating the different statistical values it is found that the average performance of the female students is better than the male students of the rural area.** The mean scores of female students of rural area in the Science stream are equal to M=200 is which higher than the mean scores of male students M=to 180.42 in the similar area as shown in the table below. The reason for this that the level of concentration of the female students in the classroom study has more logical weight than that of the male students from rural area and in the Science stream. Since the calculated value of t ratio 6.317 which is higher than the table value at the significant level of 0.01 that is 2.68 and 0.05 and 2.01. Therefore, the hypothesis that there is a significant difference in the Educational Achievement of the male and female students from the rural area in science stream at intermediate level stands rejected.

Table - 3

Group	Locale	Stream	Mean	S.D.	Σ_d	D	T	Level of Significance	
Male	Rural	Science	200	7.615	2.500	15.8	6.317	0.05	2.01
Female			184.2	9.6				0.01	2.68

4. **To study comparatively the Educational Achievement of male and female students from the rural area in Arts stream at Intermediate level.**

The achievement of female students during classroom studies is attributed to their super level of understanding behaviour attitude and the will to learn coupled with the kind of extra efforts to grasp the subject matter well in comparison to the male students from rural area in Arts stream at intermediate level. Data based on reason for the rejection of hypothesis support that the calculated value of t ratio is 7.709 which is greater than the table value at the significant level of 0.05 that is 2.01 and 0.01 that is 2.68. Therefore, the hypothesis that there is no significant difference in the Educational Achievement of the male and female students from the rural area in Arts stream at intermediate level is substantially rejected.

Table - 4

Group	Locale	Stream	Mean	S.D.	Σ_d	D	T	Level of Significance	
Male	Rural	Arts	161	8.602	2.672	20.6	7.709	0.05	2.01
Female			140.4	9.871				0.01	2.68

Conclusion:

The conclusion is according to the objectives of the study:

1. **To study comparatively the educational achievement of the male and female students from the urban area in science stream at Intermediate level:**

   The findings in relation to this objective reveals that significant difference is found in the educational

achievement of male and female students from urban area and science stream. The female students perform superior in the general classroom achievement test as compared to the male students. Significant difference was observed in the mean scores obtained by the female students that is M= 231.8 and for the male students M=209.2 from urban area in science stream at intermediate level at 0.05 and 0.01 level of significance. Therefore, the null hypothesis that there is no significant difference in the education achievement of the male students from the urban area in science stream at intermediate level stands rejected. Thus, it can be inferred that female students performed higher in the field of achievement in comparison to the male students from the urban area in the science stream at intermediate level.

2. **Studying comparatively the educational achievement of the male students from the urban area and Arts stream at intermediate level** the findings relation to this objective are that females' students were made to solve the same standard of General classroom achievement test. Females from urban area and scheme scored higher in comparison to the male students from the urban area in Arts stream. Significant differences were observed in the mean of scores of male students that is 163.8 and female students that is 178.2 at 0.05 and 0.01 levels of significance. Therefore. the null hypothesis that there is no significant difference in the educational achievement of the male and female students from the urban area in arts stream at intermediate level is rejected. The from the present study it can be inferred that the education achievement of female students is better than the male students from urban area in Arts stream at intermediate level.

3. **To study comparatively the educational achievement of the male and female students from the rural area in science stream at intermediate level.**

The findings in relation to this objective are general classroom achievement test was administered on the male and female students to measure their educational achievement. A significant difference is observed in the mean of the scores of educational achievement test of male where M= 184.2 and female M=200 in case of rural area in science stream at intermediate level at 0.01 and 0.05. Significantly the female students from rural area in science stream performed better than the male students from rural area in science stream. Therefore, the null hypothesis that there is no significant difference in the educational achievement of the male and female students from the rural area in science stream at intermediate level is rejected. Thus, it can be inferred from the present study that the female students from rural area in science stream have better educational achievement in comparison to male students from rural area in science stream.

4. **To study comparatively the educational achievement of the male and female students from the rural area in Arts stream at Intermediate level.**

The findings in relation to the objective are for measuring the education achievement of student's general classroom achievement test was administered and it is found that there is a considerable difference in the mean of scores of education achievement test of female students M = 161 and male students M=140.4 at 0.05 and 0.01 level of significance. Female students from rural area in Arts stream perform better than the male students from rural area in Arts stream. Therefore, the hypothesis that "there is no significant difference in the educational achievement of the male and female students from the rural area in Arts stream at intermediate level is rejected." Thus, it can be understood from the present study that the educational achievement of female

students from rural area in Arts stream is better than the male students of rural area in the same stream.

Educational implications of the present study

The present research carries immense implications in the field of education such as for the policy makers, educators, teachers as well as a student themselves. Discipline in any field or sphere of life plays a key role to achieve any task. Similarly discipline of the students in the class as well as discipline on the part of the teacher plays a significant role in maintaining the optimal classroom environment. Favourable environment inside the classroom will result in better education achievement for the students.

References

- *Emmer, E. Sanford, C. and Warsham, M. (1984): Classroom management for secondary school teachers. New Jersey: Prentice Hall.*
- *Kathleen Cotton, (1990): school Wide & classroom discipline school improvement Research series: research you can use.*
- *Lomofsky, L. Mvambi, N., and Roberts, R. (1999): the inclusive classroom. Pretoria: Van Schaik.*
- *Lewin James, Kaye Shanke Jhon (2001): the self-control classroom understing and managing the disruptive behaviour of all students.*
- *Freedman, M. & Benjamin, B.T. (2003): The art and discipline of strategic leadership. New York: McGraw Hill.*
- *Jane Mathukhwan Serakwane (2007): Establishing discipline in contemporary classroom.*
- *Nassozi Immaculate (2007): The effect of teacher's leadership role on student's discipline in secondary schools in wakiso district.*
- *Huy, P. Phan (2008): Achievement goals the classroom environment & reflective thinking: School of Education, University of South Pacific Suva.*
- *Kyoshaba Martha, (2009): factors affecting academic performance of under graduate students at Uganda Christian University.*
- *Maggie O Calla (2010): Factors effecting educational achievements.*
- *Mary Ellen Beaty-O Ferral, Alan Green and Fred Hanna (2010): classroom management strategies for difficult students: promoting change through Relationship.*
- *Milner Richard H. (2010): Classroom management in diverse classroom urban education 45:560-603.*

THE POETRY OF THE POST-INDEPENDENCE ERA

Dr. Faraz Alam*

The poetry of the post- independence era is replete with the experimental stuff and totally new essence. Poetry of this era frees itself from personal emotions and romantic leanings. Poets now came forward with their own thinking about life and their own revolutionary expressions they allowed a room for symbolism, imagination and mysticism, the entire Indian English literature reaped benefits from the changes having taken place in India after independence. In this era, "poetry, shedding its anemic romantic uncertainties became at its best, vigorous and truly modern."1 Instead of imitating the romantic tradition, poets of this era highlighted the contemporary society and conditions around them. More changes took place in western literature with the appearance of William Butler Yeats, Thomas Stearns Eliot, Ezra Pound and others on the literary horizon. A sort of 'new' poetry now came into being. 'New' in the sense of their content, their way of thinking and their mode of presentation.

Ezekiel (1924-2004) is a well- known poet who is recognized for his modernistic approach. He is usually considered as one of the most notable post-independent Indian English writers of verse; he belonged to a Jewish family which migrated to India long ago. He was an extraordinary student from the very beginning and had a keen interest in literature. He also studied philosophy and psychology under the guidance of Prof. C.E.M. Joad. After completing his M.A., he went to London for higher studies, and there in 1952, his first volume of poetry entitle A time to Change was published. Cohesiveness of this volume is quite noticeable.

* *Guest Faculty, Department of English, Bundelkhand University, Jhansi (UP).*

In one of the poems of this volume, Ezekiel shows his belief in the excitement of the city of Bombay. Many of his poems reflect his awareness of not being related to India by his present profession. At one place, he says: "I am not a Hindu and my background makes me a natural outsider; circumstances and decisions relate me to India. In another country I am a foreigner. In India I am an Indian."2 His poetry is full of contemporary social relevance, and the most striking feature of his poetry is its human concern.

From the very beginning of his life, Nissim Ezekiel lived in a cosmopolitan city, namely Bombay, which is highly westernized. And that's why he remains alienated from the Indian ethos. The theme of alienation is central and dominating in Ezekiel's entire poetic universe. His efforts are directed towards disturbing "the silence as little as possible, to keep himself concealed, to let things happen and be recorded.3 Ezekiel has published six books of verse till date, and the mere bulk is enough to establish him as considerable poet. He attaches a lofty ideal - that of discipline- to his craft. His volumes of poetry are: A Time to Change (1952), Sixty Poems (1957), The Unfinished Man (1960) ,The Exact Name (1956), Hymns in Darkness (1976), and Latter- Day Psalms (1982).

In The Exact Name, Ezekiel has tried to give something new and innovative in the form of an attempt to provide symbolic equivalent for emotional thoughts. Hymns in Darkness contains his most chiseled poems and reveals "increasing concern with the nature of religious experience."4 women in his poems are representatives of animalism and sexuality. This image appears repeatedly in his verse:

Her false love became infused
With truest love
Only in making love.5

Nissim Ezekiel has written a few poems which reveal his flair for the comic. Besides comical and ironical tone of his poetry,

there is also the habit of philosophizing life. But at one point he realizes that the philosophic truth has no use in real life:

Your truth
Is too momentous for man
And not always useful.6

Nissim Ezekiel is painstaking craftsman who gives utmost attention to the right use of words and metaphors. This quality is hinted at in one of his poems, "Mornings Prayer", in The Unfinished Man:

Whatever the enigma,
The passion of the blood,
Grant me the metaphor
To make it human good. (p.122).

Ezekiel is of the opinion that the warmth of human emotions is necessary, but it is not enough for the creation of good poetry; more than this what a poet needs is the talent to perceive and create new resemblances and new images. A critic, Chetan Karnani, Praises Ezekiel's third volume of poetry thus: "The Unfinished Man ... is an inspired work, prolific in its proper fruits. Ezekiel here showed a mastery of song which he has never to match again.

Among his several good poems, there is a poem entitled "Night of the Scorpion ", which can be considered as the best one. This poem is endowed with an Idea-creating force, and exhibits something more than just positivism. Apart from its intended literal meaning, "it suggests maternal love, especially of the Indian mother." His poetry possesses the technical skill of a high order, and is notable for its controlled and simple conversational style. It strongly recalls Dryden to our minds. Like Dryden, he is conscious of the purity of diction in his poetry.

References

- *William Walsh, " Two Indian Poets", The Literary Criterion, 11, No.3 (Winter 1974), p.20.*
- *Chetan Karnani, Nissim Ezekiel. New Delhi, Arnod- Heinemann, 1974,p.73.*
- *Nissim Ezekiel, Hymns in Darkness. Delhi : Oxford Univ. Press, 1976,p.15.*
- *R. Parthasarathy, "Tradition and Freedom", The Indian journal English Studies, 21 (1981-82),p.57.*
- *Nissim Ezekiel, Collected Pomes : 1952-1988. Delhi : Oxford univ. Press, 1989, p.158.*
- *Cited from Surya nath Pandey, ed. Nissim Ezekiel : Dimensions of a Poetic Genius. Delhi : Doaba House, 1999. p.4.*

LIFE SKILLS DEVELOPMENT OF ADOLESCENT GIRLS

Dr. Neha Mishra*

Introduction

Life skill-based education is a form of education that focuses on cultivating personal life skills. It is an essence of human development which can be achieved by spreading education. Education is an instrument by which the development and social change take place in the society. Education helps the individual as well as society and provide people with an opportunity to reflect on social, economic, cultural, moral issues facing humanity.

Education also contributes to national development through dissemination of knowledge and skills. Education as a vibrant means of social development and satisfy two main functions.

- Should produce qualified, trained humans strength to meet requirements of growing economy.
- Enlightened citizens to participate in the democratic system.

Literacy and education are the important factors for the improvement and uplifting of the marginalized groups. Government and NGO's are achieving the goals of education. Education is mainly differentiated into two types formal and non-formal education.

Different institutes and NGO's working on non-formal education for rural development. To addresses the special needs of adolescent girls and tries to equip them skill for improving their lifestyles. The study focuses on drop outs school girls, working women and rural unmarried girls. It encourage self-confidence and self-esteem, legal literacy, awareness for health and nutrition among the adolescent girls.

* *Assistant Professor ,Department of Social Work, Bundelkhand University.Jhansi.*

Need and Importance of Life Skills Education for Adolescents

Adolescent is a transitional period of human life where various physical and psychological changes occurs. Adoloscent is the major part of the society and the are also the future of nation, so the cognitive,critical thinking,decision making skill develop in the personality.These Life Skills help the adolescent to overcomes problems they face in their life.

Objectives of the Study

1. To understand the programme 'Life skills education and development for adolescent girls'.
2. To study the importance of non-formal education for the development of adolescent girls.
3. To study the socio-economic factors for drop outs.

Research Methodology

This research article based on secondary sources. But the researcher also proposed this study on primary source in future for the importance in Life Skills Education for adolescent. Focus group discussion and Interaction session organize with the parents, and girls. Internet websites are also use for the task. Interview schedule and survey play a important role for preparing this research article.

"The real wealth of a nation is its people and the purpose of development to create an enabling environment for people to enjoy long, healthy and creative lives. This simple but powerful truth is too often forgotten in the pursuit of material and financial wealth."(Human Development Report, 1999)

Girls at the age of adolescence face many social and health problem. The adolescent girls are restricted from education and recreational activities to take care of their siblings. Many girls work do work hard for 14 to 16 hours. This age group need to be

focused. For the upliftment of these girls with all round personality development and Life Skills programmes for adolescent and adolescent friends club is helpful.

The objectives of Life Skills programme as follows:

1. To improve the social status of adolescent girl's by developing skills related to gender, legal literacy and team building.
2. To aware and promote for self-development and build self-confidence through participate with the community programs as well as arts and craft.
3. To promote and improve the adolescent health status by increasing their practical and cognitive skill in health and nutrition.
4. To delay the age of marriage of adolescent girls.

This programme is design in such a way that it should be practical and rendering skills for the improvement of socio-economic status. In this programme the girls teach in such a manner that the girls realize importance of Life Skill Education. The incidents related or based on rural life in which the girls are living.

Strategies for Developing Life Skills

- Role-Play
- Discussions
- Brainstromming

This proposed program or course divided in three parts. This course classified in different stages,

1. Social issues and institutions
2. Local Community based
3. Basic Life Skills Education
4. Health and Nutrition
5. Reproductive Health/Sex Education

Proposed Course Contents

Sr. No	Modules	Sub Topics
1	Social issues and institutions	Social structure. legal awareness, culture, gender discrimination and sensitization and family life education.
2	Local Community based	Local groups and institutions. Government schemes and facilities for welfare
3	Basic Life Skills	Vocational guidance, critical thinking communication skills and interpersonal relations, coping with emotions and stress and self awareness and empathy.
4	Health and Nutrition	Maintain healthy beahviours, attitudes and functional knowledge to enhance or promote health well being
5	Reproductive Health /Sex education	RTI/STI and HIV and Hygiene and about safe sexual practices,

Decision capacity, communication skills and the skills for healthy lifestyle and skill essential for keeping good health of family as well as society are teaches in this course content. Cleanliness, reproductive health education to the future mother.

In this study the researcher takes target group of unmarried adolescent girls of 12-19 years,focus on drop outs and working adolescent of rural areas.

Sugesstions

" The local bodies will support for this Life Skill program for the betterment of adolescent.

" Adolescent friendly clubs are also open for interaction with adolescent.

" Easy accessible place where adolescent come to attend the course.

Conclusion

Life Skills course promote potential ,self esteem,self confidence and creativity skills among adolescent girls. Providing

life skills education helps to build the foundation for learning skills. Education related technology,health,nutrition,is all for the upliftment ogf women. Because adolescent girl is the future mother and this skill education decrease the Maternal mortality and women participated in nation's development.

References

- *UNESCO(2001) 'Life Skills in Non-Formal Education' A Review*
- *Central Board Of Secondary Education.Life skill education and CCE manual,(2010)*
- *Dhingra, R & Chauhan, K .S.(2017) Assessement Of life skills of adolescent in relation to selected variables. International Journal of Scientific and Research Publications 7(8), 11-12*
- ***Websites :***

  www.unesco.org

  www.unicef.org

लल्लूलाल और उनका प्रेमसागर

मनोज कुमार शुक्ल*

हिन्दी गद्य के विकास में निःसन्देह फोर्ट विलियम कालेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सन् 1800 में मार्क्विस वेलेजली ने कलकत्ता में इसकी स्थापना की। यद्यपि कॉलेज की स्थापना में राजनीतिक उद्देश्य निहित था, जिसका प्रत्यक्ष लाभ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सिविल कर्मचारियों को मिलना था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ हिन्दी और हिन्दीभाषियों को भी प्राप्त हुआ। इस कॉलेज में अरबी, फारसी, संस्कृत, हिन्दुस्तानी सहित अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। कालेज में अलग–अलग भाषाओं के लिए अलग–अलग प्रोफेसर नियुक्त थे, इसी क्रम में हिन्दुस्तानी के लिए 1800 ई. में डॉ. जान बौर्थविक गिलक्राइस्ट को हिन्दुस्तानी भाषा का प्रोफेसर बनाया गया। प्रोफेसर के सहयोग के लिए कालेज में हिन्दुस्तानी विभाग में भाषा मुंशी का पद 1801 ई. में सृजित किया गया। उस समय मीर बहादुर अली को प्रधान मुंशी एवं तारिणी मित्र को उप–प्रधान मुंशी के पद पर नियुक्त किया गया। इन भाषा मुंशियों को हिन्दी पण्डित या हिन्दी मुंशी के रूप में भी जाना जाता था।

फोर्ट विलियम कालेज 1800 से 1854 ई. तक चला। हिन्दुस्तानी विभाग के अंतिम प्रोफेसर विलियम प्राइस 1831 ई. तक रहे, बाद में कार्यभार इन्ही भाषा मुंशी ही संभालते रहे, इसलिए इनके योगदान को कम नहीं आँका जा सकता। वैसे तो हिन्दुस्तानी विभाग में कई भाषा मुंशी हुए, परन्तु इनमें लल्लूलाल, सदल मिश्र तथा गंगा प्रसाद शुक्ल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

लल्लूलाल

हिन्दी प्रारम्भिक गद्य के चार स्तम्भ माने जाते है–इॅशा अल्ला खॉ, सदल मिश्र, मुंशी सदासुख लाल, लल्लूलाल। इन्हें गद्य चतुष्टय भी कहा जाता है। लल्लूलाल इनमें से एक थे। ये आगरा के रहने वाले गुजराती

* *शोध छात्र (हिन्दी), जे.एल.एन.एम.पी.जी. कालेज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।*

ब्राह्मण थे, लल्लूलाल का जन्म 1763 ई. में हुआ था। इनके पूर्वज गुजरात से आकर आगरा में बस गये थे। इनके नाम में विविधता पायी जाती है। ग्रियर्सन महोदय ने इनका नाम लल्लूजी लाल लिखा है। फोर्ट विलियम कालेज के विवरण में इनका नाम लल्लूलाल तथा लाल कवि मिलता है। सरस्वती पत्रिका के फरवरी अंक (1901) में किशोरीलाल गोस्वामी ने लल्लू लाल जी लिखा है। कुल मिलाकर इनका सही नाम लल्लू जी लाल था और प्रचलित नाम लल्लूलाल था। लल्लूलाल आजीविका के लिए कई शहरों में घूमे, बाद में ये कलकत्ता आ गये, कहा जाता है कि ये अच्छे तैराक थे और एक बार तैरते समय इन्होंने एक अंग्रेज को डूबने से बचाया था, बाद में उसी अंग्रेज की पैरवी पर इन्हे फोर्ट विलियम कालेज में नौकरी मिली थी।

ये 1800 ई. में सर्टीफिकेट मुंशी के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया। सन् 1802 ई. में ये भाषा मुंशी बनाये गये। बीच में एक दो बार इन्हे अपने पद से हटना भी पड़ा था। लेकिन पुनः कार्यभार ग्रहण किया और 1823 ई. तक कालेज से जुड़े रहे। पेंशन लेने के बाद ये आगरा चले गये, वही अपना प्रेस जो इन्होंने कलकत्ता में खोला था, उसे भी लेते गये, इस प्रेस का नाम इन्होंने 'संस्कृत प्रेस' रखा था, जिसमें अपने ग्रन्थों के अतिरिक्त रामायण जैसे धार्मिक ग्रन्थ छपवाया करते थे, जिससे इन्हे और इनके प्रेस को सम्मान से लोग देखते थे। जीवन के अंतिम समय में ये आगरा से कलकत्ता चले आये थे और यहीं कलकत्ता में 1835 ई. में इनकी मृत्यु हो गयी थी।

लल्लूलाल जी की ग्यारह कृतियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें माधोनल, राजनीति, प्रेमसागर, ब्रजभाषा–व्याकरण, सभाविलास, माधवविलास, लाल चन्द्रिका आदि विशेष उल्लेखनीय है।

प्रेमसागर

लल्लूलाल की प्रसिद्धि का कारण उनका प्रेमसागर ग्रन्थ रहा। इसमें भागवत के दशम स्कन्ध की कथा 90 अध्यायों में वर्णित है। इसकी भूमिका लिखते समय लल्लूलाल जी ने लिखा है– ''एक समै व्यासदेव कृत श्रीमत

भागवत के दशम स्कन्ध की कथा को चतुर्भुज मिश्र ने दोहे चौपाई में ब्रजभाषा किया सो पाठशाला के लिए श्री महाराज धिराज सकल–गुन निधान पुन्यवान महाजान मारक्विस वेलिजली गवरनर–जनरल प्रतापी के राज में और श्रीयुत गुन–गाहक, गुनियन–सुखदायक, जान गिलकिरिस्त महाशय की आज्ञा से संवत 1860 में श्री लल्लू जी लाल कवि ब्राहम्न गुजराती सहस्त्र अवदीच आगरे वाले ने विसका सारले, यामनी भाषा छोड़, दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कह, नाम प्रेमसागर धरा। उसी कवि ने संवत 1866 में पूरा कर छपवाया, पाठशाला के विद्यार्थियों के पढ़ने को।''

उपर्युक्त भूमिका से प्रेमसागर की भाषा खड़ी बोली होने की सूचना मिलती है। लेकिन डॉ. रामचन्द्र तिवारी एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे इतिहासकारों ने इसे विशुद्ध खड़ी बोली का ग्रन्थ नहीं माना, बल्कि इस पर ब्रजभाषा का प्रभाव बताया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार इसमें अन्य भाषाओं के शब्द भी मिलते है। इसकी भाषा के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों का अलग–अलग मत है। डॉ. रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार ''भाषा की सजावट प्रेमसागर में पूरी है। विरामों पर तुकबन्दी के अतिरिक्त वर्णन वाक्य भी बड़े–बड़े आये है और अनुप्रास भी यत्र–तत्र है। मुहावरों का प्रयोग कम है।''

डॉ. बच्चन सिंह के अनुसार– ''प्रेमसागर की भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है। इसके शब्द रूप अनिश्चित भाषा ब्रजीरंजित शैली पंडिताऊ है।''

डॉ. लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय के अनुसार– ''सम्यक दृष्टि से विचार करने पर 'प्रेमसागर की भाषा में माधुर्य और सरसता है, काव्यभास है, लेकिन काव्य रचना में सुसंबद्धता नहीं है।''

एक अंग्रेज अफसर के अनुसार जिसने प्रेमसागर पढ़ा था– ''ऐसी थका देने वाली भाषा' उसने कभी नहीं देखी।''

प्रेमसागर की प्रसिद्धि का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि इसके हिन्दी में 13 संस्करण और अंग्रेजी में 6 संस्करण प्रकाशित हुए है।

अस्तु कहा जा सकता है कि गद्य के उस प्रारम्भिक दौर में

लल्लूलाल ने जिस तरह हिन्दी के विकास में अपना योगदान दिया था वह सराहनीय है। उनके प्रेमसागर की भाषा खड़ी बोली गद्य की दृष्टि से प्रारम्भिक नमूनों में से एक है। निश्चय ही दोनों प्रशंसनीय है।

संदर्भ ग्रन्थ

- *विकिपीडिया (आनलाइन मंच)*
- *हिन्दी साहित्य का इतिहास–रामचन्द्र शुक्ल*
- *हिन्दी साहित्य उद्भव और विकास–हजारी प्रसाद द्विवेदी*
- *हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास (द्वितीय खण्ड–डॉ. गणपति चन्द्र शुक्ल*
- *हिन्दी गद्य विन्यास और विकास– रामस्वरूप चतुर्वेदी*
- *हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास–बच्चन सिंह*
- *हिन्दी का गद्य साहित्य–प्रो. रामचन्द्र तिवारी*

भारत में सामाजिक न्याय सहित आर्थिक विकास की आवश्यकता

डॉ0 बृजेन्द्र सिंह बौद्ध*

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बढ़ती आर्थिक असमानताओं ने सामाजिक न्याय (Social Justice) के विचार को जन्म दिया। वास्तव में आरम्भ में आय की बढ़ती असमानताओं को पूँजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत माना गया अर्थात सम्पन्न वर्ग का अधिक सम्पन्न होना आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में सहायक माना गया। इस विचार ने समाज को दो वर्गों में बांट दिया–सम्पन्न एवं विपन्न अर्थात सुविधा सम्पन्न एवं वंचित जिससे राजनीतिक धरातल पर एक समस्या आ खड़ी हुई कि लोकतंत्र में समाज के सभी वर्गों को संविधान में लिखित आर्थिक समानता का अधिकार कैसे सुनिश्चित किया जाय। हमारा लोकतांत्रिक संविधान समता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, धर्म मानने की स्वतन्त्रता के अधिकार जैसे मूल अधिकारों की गारण्टी देता है किन्तु विगत वर्षों के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि इन स्वतंत्रताओं का लाभ समाज के साधन–विहीन वर्ग को और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्तिओं को नहीं मिल पाया है। इस प्रकार लोकतंत्र जो समाज के सभी वर्गों के व्यक्तिओं को समान अधिकार देने का वायदा करता है या नहीं, निश्चित रूप से समाज में इसे एक न्याय–संगत सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में सफल रहना चाहिए। सामाजिक न्याय का विचार इसी न्याय–संगत सामाजिक व्यवस्था से सम्बन्धित है, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ण एवं प्रत्येक–वर्ग एवं प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में न्यायपूर्ण अधिकार देने की बात कही गई है। सामाजिक न्याय का विचार एक समतामूलक समाज की स्थापना करने का विचार है अर्थात कहा जाए कि एक क्रान्तिकारी है जिसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से भागीदार बन सके और आर्थिक

* *वरिष्ठ प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग, बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी*
ई–मेल : dr.bsboudha1999@gmail.com

विकास के लाभों में समान रूप से हिस्सा प्राप्त कर सके। इस पुनर्वितरण के लिए आवश्यक है कि समाज के सम्पन्न एवं सुविधा सम्पन्न वर्ग के लोग अपने लाभों के एक अंश का त्याग करने के लिए तत्पर हों ताकि समाज के पिछड़े एवं दलित शोषित वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग भी विकास की दौड़ में सम्मिलित हो सकें। सामाजिक न्याय का विचार आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक लाभों में समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी तो सुनिश्चित करता है किन्तु तुला की तौल के रूप में बराबर भागीदारी की वकालत नहीं करता। सामाजिक न्याय का अभिप्राय आर्थिक दृष्टि से सभी वर्गो को समान कर देना नहीं है अर्थात पिछड़े, कमजोर एवं असहाय, गरीब, मजलूम वर्ग के लोगों को कुछ ऊपर उठाना है। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति के0 सुब्बाराव के शब्दों में–''सामाजिक न्याय का अभिप्राय संकीर्ण एवं विस्तृत अर्थों में लिया जाता है। संकीर्ण अर्थों में सामाजिक न्याय का अर्थ है– व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों में विद्यमान अन्याय को दूर करना। दूसरी ओर विस्तृत अर्थ में यह व्यक्तियों के जीवन की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को दूर करने का एक माध्यम है। व्यावहारिकता में सामाजिक न्याय को विस्तृत अर्थों में ही लिया जाता है। संक्षेप में सामाजिक न्याय का विचार एक न्याय संगत समाज बनाने में सहायक है।'' न्याय पर आधारित सिद्धान्त के मुख्य प्रवर्तक जॉन राल के अनुसार–''सामाजिक संस्था का प्रथम गुण न्याय है'' उनके मतानुसार मानवीय अधिकारों को समझने के लिए न्याय की भूमिका निर्णायक है। वास्तव में मानवीय अधिकार न्याय का लक्ष्य है। न्याय पर आधारित सिद्धान्त औचित्य की धारणा से ओतप्रोत है। न्याय एवं औचित्य की धारणायें सामाजिक प्राथमिक लक्ष्यों जैसे स्वतंत्रता एवं अवसर, आय व धन तथा आत्म–सम्मान के आधार जो समान रूप से विभाजित किये जायें जब तक कि सबसे कम अनुगृहीत के लाभ के अपवाद न किया जाए, को निर्धारित करने में सहायक होते है। हैरोल्ड लास्की कहते है ''अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियां है, जिनके बगैर सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ''मनुष्य के लिए जहां रोटी, कपड़ा और मकान अपरिहार्य है वहीं उसके साथ कतिपय ऐसी अन्य

चीजें है जो आधुनिक मानव समाज के लिए अत्यन्त आवश्यक है और इसमें सामाजिक न्याय भी शामिल होना चाहिए। अतः हम मोटे–तौर पर सामाजिक न्याय को, हम वे अधिकार भी कह सकते है जो एक मानव को मानव के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। संक्षेप में सामाजिक न्याय जो मानव को भय और 'भूख' से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक है। अगर हम बात करे की महिलाओं के भेदभाव पर मधुकिश्वर बनाम बिहार राज्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि–''महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय मूल अधिकारों और निदेशक सिद्धान्तों की अविभाज्य योजना है। अभिसमय का अनुच्छेद 2 (ड) राज्य पक्षकारों को आदेश देता है कि वे अपने संविधान में अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लिंग–भेद पर आधारित भेदभाव को रोकें। अभिसमय को अनुच्छेद 2 (च) सह पठित है अनुच्छेद 3,14 तथा 15 भारत के संविधान और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अविभाज्य अंग के रूप में समाविष्ट करती है।

अतः यह आवश्यक है कि अभिसमय को विधिक रूप में प्रभावकारी बनाने के लिए सक्षम विधान का अधिनियमन किया जाए जिससे महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव जो विधिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्परा के कारण विद्यमान है, समाप्त किया जा सके।'' वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के आर्थिक विकास की धारा को पुरूष की हिंसक भाषा व अपसंस्कृतीकरण ने अवरूद्ध किये हुए है। आज खो गया, उसकी भी चिन्ता और जिसे पाना चाह रहा है, किन्तु वह नही मिल पा रहा है, उसकी भी चिन्ता। दूसरे को अधिक क्यों मिला या मिलता है या मिल रहा है इसकी भी चिन्ता? इस चिन्ता की अभिव्यक्ति कैसे हो? विवशता जनित विफलता व विफलता जनित विवशता का सार्वजनिक प्रकटीकरण कैसे हो? हर व्यक्ति पाना चाहता है, भोगना चाहता है। अपनी व अपने परिवार की चिन्ता मग्न है। बस केवल 'मै' और 'मेरा' अन्य 'हम से' क्या सम्बन्ध? भावना जब संवेगात्मक तूफानी रूप लेती है और चीत्कार करती है, तो वह संयम छोड़ देती है, शब्द अपना शालीन धर्म छोड़ देते है और साध्य व साधन की पवित्रता गौण होकर भौतिकवादी लक्ष्य की प्राप्ति के बिन्दु को ही जीवन का

अन्तिम यथार्थ मानकर पश्विकता को प्रकट करते है। हिंसात्मक अभिव्यक्ति ही एकमात्र सहारा रह जाता है। पदलालित्य सौष्ठव, प्रांजलता सब उपभोगवादी पाश्विक स्वार्थ परता के पराधीन होकर अपनी संतुष्टि चाहती है। भाषा तो माध्यम है, जो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। कुत्सित भावना कुस्मित शब्दावली, अपसांस्कृतिक मनोवृत्ति, क्रूर शब्दावली, कामुक कुसंस्कृति, कलुषित शब्दावली, आज के जीवन व्यापार में भाषा के महत्व को स्वीकारा गया है और यह भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया कि आज के प्रतिद्वन्द्वात्मक आर्थिक उपभोगितवादी रूप सांस्कृतिक युग में हिंसक भाषा का प्रयोग, एक सांस्कृतिक आवश्यकता बन गई।

सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जाना चाहिए कि महिलाओं के साथ भी समता–समानता के व्यवहार की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय अर्वाचीन शब्द है। यह अंग्रेजी शब्द सोशल जस्टिस का पर्याय है। सोशल जस्टिस शब्द का प्रथम प्रयोग जेसुइट लुईगी तप्पारेल्ली ने 1840 में किया। उस समय मार्क्स के साम्यवादी तत्वज्ञान का यूरोप में बहुत बोलवाला था। औद्योगिक क्रांति के कारण जो नई सामाजिक आर्थिक रचना हुई उसमें पूजीपतियों के हाथ में असीम सत्ता आ गई और उन्होंने इस सत्ता के माध्यम से आम आदमी का भीषण शोषण किया। कष्ट सहन करने वाली जनता बहुत दुर्बल बन गई। मार्क्स ने शोषित लोगों से कहा कि " आप जग जाओ, संगठित बनो और पूंजीपतियों को समाप्त कर दो। आर्थिक न्याय की प्रस्थापना करो। सामाजिक समता का युग लाओ।" मार्क्स ने पंथसत्ता का भी आहवान दिया। इस आहवान को स्वीकारते हुए ईसाई मिशनरियों ने बाईबिल का नए ढंग से इंटरप्रिटेशन आरंम्भ कर दिया और कहना आरम्भ किया कि बाईबिल में सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय का जिक्र किया गया है। आगे चलकर यूरोपीय समाज में परिवर्तन होते गए और उन्होंने अपने समाज में सामाजिक न्याय की प्रस्थापना करने की दृष्टि से राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक सुधार किए। सामाजिक न्याय पद–युग्म में न्याय शब्द के अर्थ के बारे में थोड़ा विवरण देना आवश्यक है। इसके लिए अंग्रेजी प्रतिशब्द है जस्टिस भारतीय विचार परम्परा में न्याय शब्द का अर्थ केवल

जस्टिस नहीं होता। न्याय को धर्म से जोड़ा गया है, सत्य से जोड़ा गया है। धर्म यानी न्याय, सत्य यानी न्याय इस प्रकार से न्याय शब्द को अपने यहां परिभाषित किया जाता है। जब कोई कहता है कि यह धर्म का काम है तो उसका मतलब होता है कि यह न्याय का काम है और न्याय का काम होने के कारण यह धर्म का काम है तो उसका मतलब होता है कि यह न्याय का काम और न्याय का काम होने के कारण यह सत्य का काम भी है, ऐसा अर्थ लिया जाता है। आमतौर पर आम आदमी न्याय के अर्थ को न्यायालयों में चलने वाले मुकदमों के साथ जोड़ता है। वे मुकदमें राज्य द्वारा बनाए कानून के आधार पर तय किए जाते है और उसमें जो निर्णय होता है, उसे न्याय कहा जाता है। उसमें न्याय होता ही है ऐसा नहीं है और कई बार न्याय का क्रूर मजाक भी होता है। इस प्रकार सामाजिक न्याय शब्द को राज्य निर्धारित कानून, मुकदमें, न्यायायल के ही संदर्भ में नहीं देखा जा सकता। यह बहुत व्यापक संकल्पना है और इसके अन्तर्गत राज्य के कानून और न्यायालयी संस्था का भी अंतर्भाव होता है। जब न्याय के पहले सामाजिक शब्द जोड़ा जाता है तब उसका एक और विशिष्ट अर्थ बनता है। इस अर्थ को भी हमको समझना पड़ेगा। समाज कुछ रचना बनाकर मार्गक्रमण करता है। पश्चिम में समाज की रचना वर्गाधारित है। हिन्दू समाज में समाज की रचना पहले वर्णाधारित और बाद में जाति आधारित बनी। वर्ग और वर्ण व्यवस्था में कुछ मौलिक अंतर है। वर्ग रचना जन्माधारित नहीं होती, वर्णरचना जन्माधारित होती है, यहां जातिप्रथा भी जन्माधारित होती है जबकि वर्गरचना में एक से दूसरे वर्ग में जाया जा सकता है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में जो जिस जाति और वर्ण का है, मरते दम तक उसी स्थान पर रहता है। वर्ण व्यवस्था श्रमिकों का विभाजन नहीं करती लेकिन जाति व्यवस्था श्रमिकों को भी बांट देती है। जाति व्यवस्था में व्यवसायबंदी, ज्ञानबंदी, रोटीबंदी, मंदिरबंदी, परस्पर संबंध पर पाबंदी होती है। वर्ग व्यवस्था धर्माधारित नहीं होती, वर्ण और जाति व्यवस्था के पीछे धर्म का आधार खड़ा किया जाता है, पाप और पुण्य की कल्पना खड़ी की जाती है इसलिए उसमें परिवर्तन लाना कठिन कर्म बन जाता है। वर्ण–जाति व्यवस्था अनगिनत प्रकार के अनरूपों की जननी

होती है जैसे–आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, राजनीतिक अन्याय, धार्मिक अन्याय, सांस्कृतिक अन्याय आदि। सामाजिक न्याय सहित आर्थिक विकास किया जाता है तो इस प्रकार के अन्यायों में कमी आ सकती है। हमारी और भारतीय समाज की जिम्मेदारी बनती है कि देशहित एवं देश का नाम रोशन अर्थात उन्नति करना है तो अन्यायों की खाई को नये विचारों के माध्यम से पाटना चाहिए। इस प्रकार सामाजिक न्याय का महत्व और बढ़ जाता है।

निष्कर्ष :– भारतीय अर्थव्यवथा में बढ़ती गरीबी एवं आय का असमान वितरण अनेक सामाजिक–आर्थिक अवरोध उत्पन्न करता है जिससे आर्थिक विकास का मार्ग अवरूद्ध होता है। गरीबी एवं आय की असमानताओं एवं अन्यायों की बढ़ती प्रवृत्ति को सीमित करने के लिए आर्थिक नियोजन में संरचनात्मक उपाय अपनाए जाने चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय सहित आर्थिक विकास को उचित आधार मिल सके। आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के उद्देश्य परस्पर पूरक है। दोनों उद्देश्यों का सह–अस्तित्व है। सामाजिक न्याय–विहीन आर्थिक विकास को सार्थक नहीं कहा जा सकता। सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास की गति को तीव्र करता है। समाज के गरीब वर्ग की उपेक्षा एवं सम्पन्न वर्ग की बढ़ती सम्पन्नता आर्थिक विकास की गति को वांछित गति देने में बाधा उत्पन्न करती है। आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए सामाजिक न्याय उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार सामाजिक न्याय के लिए आर्थिक विकास आवश्यक होता है। आय वितरण की असमानता के कम होने तथा गरीबी की रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या के अनुपात में कमी होने से उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं की प्रभावशाली मांग का विस्तार होगा और जिसका परिणाम होगा–गरीबी के दुष्चक्र का टूटना और आर्थिक विकास की गति में वृद्धि, आज आवश्यकता इस बात की भी है कि पिछड़े, उपेक्षित एवं गरीब वर्ग को देश की आर्थिक क्रियाओं से जोड़ा जाए। उन्हें अपना वांछित अधिकार दिया जाए तथा राष्ट्रीय संसाधनों में उन्हें भी हिस्सा दिया जाए, तभी सामाजिक न्याय सहित आर्थिक विकास का स्वप्न पूर्ण साकार होगा और साथ ही दीर्घकालीन आर्थिक विकास का मार्गप्रशस्त होगा।

संदर्भ ग्रन्थ

- *महिला और मानवाधिकर, एम0ए0 अंसारी, ज्योत प्रकाशन जयपुर–2007, पेज नं0 –132*
- *मानव अधिकार, डॉ0 एस0 के0 कपूर, चतुर्थ संस्करण–2011, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी प्रकाशन, पेज नं0–05*
- *मानव अधिकार, डॉ0 टी0पी0 त्रिपाठी, चतुर्थ संस्करण–2011, प्रकाशन–इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स, पेज नं0 –01*
- *मानव अधिकार, डॉ0 एच0 ओ0 अग्रवाल, षष्ठ संस्करण (2014) सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स इलाहाबाद, (पेज नं0 –111)*
- *पांचजन्य, संग्रहणीय अंक, भारत प्रकाशन (दिल्ली) लिमिटेड देशबंधु गुप्ता मार्ग, झण्डेवाला, नई दिल्ली–55 (पेज नं0–25–29)*

घरेलू हिंसा : एक सामाजिक समस्या

डॉ. शान्ती स्वरूप*

सारांश

प्रस्तुत शोध–पत्र में महिलाओं के उत्पीड़न, उनके कारण, उत्पीड़न के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा की है। जब कभी महिलाओं के प्रति हिंसा की बात की जाती है तो यह मुख्यतः शारीरिक हिंसा तक ही सीमित होती है जो महिलाओं के मन और अंर्तमन को आहत करती है। हिंसा का उनके दिलों–दिमाग पर गंभीर व स्थायी दुष्प्रभाव पड़ता है इस ओर प्रायः लोगों का ध्यान नहीं जाता। महिलाओं का उत्पीड़न, अपमान, शोषण, दमन, तिरस्कार एवं यन्त्रणा उतनी ही प्राचीन है जितना कि पारिवारिक जीवन का इतिहास। यद्यपि सामाजिक विधान के परिप्रेक्ष्य में भारतीय महिलायें अन्य कई देशों की महिलाओं से कहीं आगे हैं किन्तु महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया इतनी मन्द अव्यवस्थित एवं असंगत रही है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से वे पुरूषों से काफी पीछे है, न केवल काम में उनके साथ भेद–भाव किया जाता है अपितु प्रत्येक क्षेत्र में उनको अधिकारों से वंचित रखा जाता है। घर में तो उनकी स्थिति और भी खराब है। उनके साथ बदतर व्यवहार के अलावा विविध प्रकार के दुर्व्यवहार भी किये जाते हैं। उनका उपहास करना, सताया जाना व आतंकित किया जाना, कभी–कभी मारा–पीटा जाना तथा यदाकदा जलाकर मार दिया जाना यह सभी बातें स्पष्ट करती हैं कि वे प्रत्येक भूमिका में शोषण का शिकार होती है किन्तु यह महत्वपूर्ण है कि न तो अपराधिक हिंसा सम्बन्धी साहित्य और न ही सामाजिक समस्याओं की पुस्तकों में अपराधों एवं हिंसा की शिकार महिलाओं के विषय में कुछ उल्लेखनीय लिखा गया है। महिलाओं की उदासी एवं उपेक्षा के कारण यह हो सकते हैं कि पुरूष अपने को महिलाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते है जिसके कारण महिलाओं के प्रति की गई हिंसा को हिंसा की दृष्टि से नहीं देखा जाता और दूसरे महिलायें

* *एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, एस.एम. कॉलेज चन्दौसी।*

स्वयं अपने धार्मिक मूल्यों एवं सामाजिक दृष्टिकोण के कारण अपने प्रति की गई हिंसा से इंकार कर देती है।

शब्द–कुंजी–महिला उत्पीड़न, पारिवारिक जीवन, घरेलु हिंसा, दुर्व्यवहार एवं समस्याएं।

प्रस्तावना

भारतीय समाज में महिलाओं पर अत्याचार होना कोई नई बात नहीं है, यहां पुरूष वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए हमेशा महिलाओं के स्वाभिमान और उनके जीवन की आहुति दी जाती रही है, सब कुछ सहती हुई वह कभी अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अत्याचार के विरोध में अपनी आवाज नहीं उठा पाई, क्योंकि कहीं न कहीं वह यह जानती थी कि इस पुरूष प्रधान समाज में उसकी व्यथा कोई नही सुनेगा, इसीलिए अपने इसी जीवन को अपनी नियति मानती हुई वह सब कुछ सहन करना ही अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर समझती थी। हमारे समाज में बेटी के पैदा होने से ही उसके साथ भेद–भाव होना शुरू हो जाता है, उसकी स्वतंत्रता को कुचल देना भारतीय पुरूषों की आदत रहीं हैं, कही अगर वह अपनी आजादी और अस्तित्व के लिए आवाज उठाती है तो उसके साथ गलत व्यवहार और मारपीट कर उसे चुप करा दिया जाता है। सरकार द्वारा घरेलू हिंसा और महिला संरक्षण कानून परिवार के भीतर रहने वाले पुरूषों के इसी स्वभाव पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ही लागू किया गया है।

नारी का मानव की सृष्टि में ही नहीं, वरन् समाज निर्माण में भी महत्वपूर्ण स्थान है। नारी और पुरूष मिलकर परिवार का निर्माण करते है। अनेक परिवारों से समुदाय और अनेक समुदायों से मिलकर एक समाज निर्मित होता है। यदि हम विश्व इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें यह पता चलता है कि संस्कृति की नींव डालने का श्रेय सर्वप्रथम नारी को ही दिया जाता है, परन्तु नारी की स्थिति सभी समाजों में एक–समान नहीं है। जिस तरह परिवार में नारी व पुरूष के कार्य व स्थान भिन्न–भिन्न होते है, उसी तरह समाज में भी नारी और पुरूष के कार्यों व स्थान में भिन्नता पाई जाती है। किसी समाज में नारियों को पुरूषों के बराबर का दर्जा दिया जाता है

तो किसी समाज में उन्हें पुरूषों की तुलना में बहुत कम अधिकार प्राप्त होते है। भारतीय नारी की सामाजिक स्थिति और समस्याओं का अध्ययन अपने आप में एक बड़ा जटिल विषय है। एम. एन. श्रीनिवास ने उचित ही लिखा है कि इसके अनेक स्वरूप हैं और सामान्यीकरण करना प्रायः असम्भव है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में, नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, विभिन्न वर्गों में, विभिन्न धर्मों और जाति समूहों में नारी की सामाजिक स्थिति और उससे जनित समस्याएं बहुत भिन्नताएं रखती है। इतना ही नहीं, वरन् आदर्श और व्यवहार में भी बहुत अन्तर है। एक ओर यदि नारी को 'गृहस्वामिनी', 'अर्द्धांगिनी', 'देवी' कहा जाता है तो दूसरी ओर वह सदैव ही निर्भरता की स्थिति में बताई जाती है।

प्राचीन भारत में किसी प्रकार का लिंगभेद नहीं था, लेकिन धीरे–धीरे सांस्कृतिक पतन के कारण लिंग के आधार पर भेद किया जाने लगा। पुरूषों को महिलाओं से उच्च स्थान प्राप्त हो गया तथा महिलाओं का स्थान समाज में गौण हो गया। इसमें मुसलमानों के आक्रमण एवं अनेक कुप्रथाओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धीरे–धीरे महिलाओं का स्थान बद से बदतर होता गया। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही हमारी सरकार का ध्यान महिलाओं की स्थिति सुधारने की ओर गया और इसके लिए सभी पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान रखे गये। अनेक योजनाएं एवं कानून भी महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए बनाये गये।

पिछले कुछ दशकों में नारी के प्रति अपराध एवं हिंसा की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है तथा यह समाज–वैज्ञानिकों, नीति–निर्धारकों, समाज–सुधारकों व अन्य सभी के लिए एक गहन चिन्ता का विषय बना हुआ है। यह सही भी है क्योंकि नारी को सुरक्षा व सुख प्रदान करने के बदले पुरूषों ने नारी को तिरस्कृत किया है, उसकी उपेक्षा की है, उसका अपमान व शोषण किया है तथा यहां तक कि उसके साथ अमानवीय हिंसात्मक व्यवहार भी किया है। मानवीय इतिहास में होने वाली ऐसी घटनाओं की वृद्धि के प्रति वस्तुतः चिन्ता होना स्वाभाविक ही है।

घरेलू हिंसा का अर्थ

आज नारी के प्रति आपराधिक हिंसा ही नहीं अपितु घेरलू हिंसा में भी अत्यधिक वृद्धि हो रही है। घरेलू हिंसा का सम्बन्ध घर–गृहस्थी में नारी का किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है। घरेलू दायरे में हिंसा को घरेलू हिंसा कहा जाता है। किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारिवारिक सम्बन्ध है, घरेलू हिंसा में शामिल है।

परिवार का कोई भी पुरूष सदस्य अगर महिला को मारता है। उसके साथ अभद्र भाषा में बात करता है या उसे किसी भी चीज के लिए विवश करता है तो वह घरेलू हिंसा कहलाती है। महिला सशक्तिकरण के इस युग में भी घरेलू हिंसा के मामले दिनों–दिन बढ़ते जा रहें है। भारत में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा "ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से विद्यमान है।" महिला हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के कानून बनाये है परन्तु महिलाओं के साथ होने वाली "घरेलू हिंसा" में कमी नहीं आयी है। महिला के विरूद्ध हिंसा हमारे देश में होने वाली रोजमर्रा की समस्या है। हर रोज महिला को मारना–पीटना, बेइज्जत करना, धमकाना तथा यौन रूप से प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित महिलाऐं प्रायः सामाजिक–सांस्कृतिक दबावों के कारण आवाज नहीं उठा पाती। भारत में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की मुख्य धुरी परिवार है, क्योंकि यह महिलाओ पर दबाव डालने का काम करती है।

घरेलू हिंसा की परिभाषा

राज्य महिला आयोग के अनुसार

''कोई भी महिला यदि परिवार के पुरूष द्वारा की गई मारपीट अथवा प्रताड़ना से त्रस्त है तो वह घरेलू हिंसा की शिकार कहलाएगी। परिवार में महिला तथा उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट की धमकी देना व उत्पीड़न घरेलू हिंसा की श्रेणी मे आते है इसके अतिरिक्त लैगिंक हिंसा, मौखिक और भावनात्मक हिंसा तथा आर्थिक हिंसा भी घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आती हैं।''

घरेलू हिंसा के कारण

भारत में पितृसत्ता को अधिक महत्व देने के कारण व लड़कियों को कमजोर व लड़कों को साहसी मानना जिसके कारण लड़कियों में आत्मविश्वास विकसित नही हो पाता हैं। घरेलू हिंसा के कारण निम्नलिखित हैं।

1. महिला के चरित्र पर संदेह करना
2. शराब की लत
3. इलेक्ट्रोनिक मीडिया का दुष्प्रभाव
4. महिला का स्वावलम्बी बनने से रोकना
5. समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव

घरेलू हिंसा के प्रकार

शारीरिक हिंसा :– इस हिंसा में मारपीट करना, लात मारना, थप्पड़ मारना या अन्य तरीकों से शारीरिक हिंसा करना।

लैगिक हिंसा :– जैसे बलात् लैगिक हिंसा, अश्लील साहित्य को देखने को विवश करना, लैगिक मैथुन आदि

मौखिक हिंसा :– अपमान करना, गालियाँ देना, विवाह के लिए विवश करना, बेटा न होना, नौकरी छोडने के लिए विवश करना।

आर्थिक हिंसा :– महिला तथा अपने बच्चें को अपनी देखभाल के लिए धन न देना।

घरेलू हिंसा की समस्याएं

दहेज हत्याएं

भारतीय समाज में नारी के लिए विवाह में दहेज अनिवार्य है। इसलिए दहेज की समस्या एक भयंकर समस्या बनती जा रही है। आए दिन समाचार–पत्रों में दहेज की शिकार, महिलाओं को जलाने की घटनाओं का विवरण छपा होता है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाओं का प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है। इसके विरूद्ध हाल ही में कठोर कानून भी बनाए गए हैं, पर पति के परिवार में अकेली नारी क्या करे? पिता या भाई

भी कब तक विवाहित बेटी या बहन को अपने घर पर रखें। कहीं–कहीं आर्थिक कठिनाई उन्हें मजबूर करती है कि बेटी के लालची ससुराल वालों के साथ समझौता करने का प्रयत्न करते रहें। परिणाम नारी की मृत्यु ही होती है। ज्यादातर दहेज हत्याएं पति के घर में पति पक्ष के लोगों द्वारा एकान्त में की जाती है।

भावनात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार

न्यायमूर्ति डॉ. पी. वेनूगोपालन ने भावनात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार को घरेलू हिंसा का प्रमुख प्रकार बताया है। यदि पति अन्य लोगों की उपस्थिति में पत्नी का अपमान करता है, उसे सारे दिन में किए गए कार्यों का लेखा–जोखा देने हेतु विवश करता है तथा अन्य किसी पुरूष के साथ उसके यौन सम्बन्ध के सन्देह में उनकी अवमानना करता है तो इसे भावनात्मक दुर्व्यवहार कहा जाता है। लैंगिक दुर्व्यवहार से अभिप्राय पत्नी के साथ यौन सम्बन्धी कार्यों हेतु उसकी इच्छा के विरूद्ध जोर जबरदस्ती करना है। इनका कहना है कि बिना सहमति के यौन सम्बन्ध स्थापित करना लैंगिक दुर्व्यवहार है।

पत्नी को पीटना

विवाह के सन्दर्भ में भी नारियों के प्रति हिंसा का व्यवहार किया जाता है जहां एक ओर उसे प्यार करने व संरक्षण प्रदान करने की आशा की जाती है वहीं उसके साथ मार–पीट भी की जाती है। भारत में पत्नी को पीटने की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है अधिकतर घटनाएं पति नशे में ही करते हैं।

विधवाओं पर अत्याचार

हिन्दू विवाह की समस्याओं में विधवा की समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। हिन्दू समाज में आरम्भ से ही विधवाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय रही है। पति के मर जाने के बाद स्त्री को जीवित रहते हुए लगभग मृतक के समान जीवन व्यतीत करना पड़ता था। हिन्दू समाज में एक विधवा को जीवित रहने का अधिकार तो दिया गया है, परन्तु उसे जीने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। विधवा होने के कारण ही उन्हें जीवन

के समस्त सुखों से वंचित रखा गया है। नारी के लिए वैधव्य सबसे भयानक शब्द है। नारी का सबसे बड़ा सौभाग्य सुहागिन बनना है। सूनी मांग मृत्यु से भी ज्यादा भयानक है। हिन्दुओं की उच्च जातियों में विधवा के पुनर्विवाह की परम्परा नहीं थी। विधवा से बड़े संयमी और तपस्वी जीवन की आशा की जाती थी।

नारी हत्या तथा भ्रूण–हत्या

नारी हत्या उस समय होती जब वह मां के गर्भ में हो, या जन्म लेने के बाद, नारी हत्या चाहे शिशु हत्या के रूप में हो चाहे जलती बहू या किसी अन्य प्रकार के उत्पीड़न के रूप में हो इसमें ऐसी घटनाएं भी सम्मिलित होती हैं जब ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जाती हैं कि नारी ने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली हो। यह सामाजिक एवं घरेलू दोनों प्रकार की हिंसा मानी जाती है। नारी शिशु हत्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो रूपों में हो सकती हैं। प्रत्यक्ष रूप में तो मारने–पीटने से, जहर देकर या गला घोंटने तक होती है और अप्रत्यक्ष रूप से उनके लालन–पालन, पोषण या देखभाल की उपेक्षा करके उन्हें मारने का प्रयास किया जाता है। अब तो एक नया तरीका गर्भ में लिंग निर्धारण या मेडिकल परीक्षण है जिसके द्वारा यह पता चल जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की, और हजारों की संख्या में लोग, यह पता लगने पर कि गर्भ में लड़की है, गर्भपात करा लेते हैं। जन्म लेने से पहले ही नारी की हत्या कर दी जाती है।

उपसंहार

भारत में महिलाओं के साथ हरसमय घरेलू हिंसा हो रही है व इनके अधिकारों का हनन हो रहा हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार भी महिलाओं को हिंसा व अत्याचार से नहीं बचा पा रहे है। अधिकांश महिलाए आर्थिक दृष्टि से निम्न स्तर की होती हैं इसी कारण महिलाओं को अत्याचार व हिंसा का सामना करना पडता है। महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार प्राचीन काल से ही होता चला आ रहा है। जिसमें उत्पीड़न, अपमान, शोषण, दमन आदि शामिल है यद्यपि आधुनिक काल में भारतीय महिलाएं उन्नति कर रही है पर फिर भी वे घरेलू हिंसा का शिकार हो रहीं

है। अधिकांश घरों में महिलाओं के साथ उपहास, सताना, मारपीट इत्यादि किया जाता है। भारत में महिलाओं का कितना विकास हुआ है। यह ग्रामीण महिलाओं की स्थिति से पता चलता है आज भी गांवो में महिलाओं को अपहरण, बलात्कार, हत्या, भेदभाव का सामना करना पडता है। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव व शोषण के लिए जिम्मेदार हमारी भारतीय संस्कृति है।

संदर्भ ग्रन्थ

- *पटेल, अनिता (2001) महिला उत्पीडन का सिलसिला कब तक, शोधपत्र*
- *नाहानी, प्रकाश नारायण (2007)–कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा बुक एवक्लेप, जयपुर*
- *श्रीवास्तव, सुधारानी (2009) महिला उत्पीड़न और वैधानिक उपचार, अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली,*
- *सक्सैना, मंजुला (2010) विवाहित महिलाओं तथा पारिवारिक हिंसा, एजुकेशन पब्लिकेशन, वाणी प्रकाशन, बैंगलोर, कर्नाटक*
- *चौधरी, कविता (2016) महिलाओं के विरूद्व घरेलू हिंसा एक समाजशास्त्रीय अध्ययन।*

मानव की मुक्ति का मार्ग

डॉ0 ज्योति वर्मा*

शास्त्रों में मनुष्य जीवन के चार उद्देश्य बताये गये है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। धर्म–अर्थ–काम और मोक्ष अर्थात् मुक्ति के रूप में कहे गये पुरूषार्थ चतुष्टय में मुक्ति अंतिम उद्देश्य है। इसका तात्पर्य है कि धर्म–अर्थ–काम की पूर्ण प्राप्ति के बाद भी मनुष्य जीवन की तब तक पूर्णता नहीं मानी जा सकती, जब तक वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता, क्योंकि धर्म–अर्थ–काम को यथा इच्छित प्राप्त कर लेने पर भी मनुष्य का जन्म और मरण का अनन्तकालिक क्रम टूटता नहीं है, जबकि मुक्ति प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जन्म–मरण के बन्धन से मुक्त हो जाता है। वह संसार में आवागमन के कठिन दुःख से मुक्त हो जाता है। इसीलिये जीवन के उद्देश्यों में धर्म–अर्थ और काम की अपेक्षा मुक्ति श्रेष्ठतम है। मुक्ति के लिए प्रयुक्त मोक्ष शब्द, मुंच्लृ मोक्षणे और मुच् प्रमोचने मोदने च, इन धातुओं में धञ् प्रत्यय का योग करने पर निश्पन्न होता है। इस प्रकार मोक्ष शब्द के दो अर्थ होते है–

1. माया के बंधनों से छुटकारा – मोचने संसार बंधनराहित्ये।
2. ब्रह्म की प्राप्ति – ब्रह्मस्वरूपावाप्तौ च ।

विभिन्न शास्त्रों और दर्शन ग्रंथों में मुक्ति की व्याख्या एवं स्वरूप वर्णन विद्वानों ने अपने–अपने ढंग से किया है। प्रस्तुत शोध पत्र में कुछ विद्वानों की मोक्ष विषयक अवधारणा का उल्लेख किया जा रहा है–

- श्रीमद्भगवद् पुराण में–जीवात्मा का अपने अज्ञान से कल्पित कर्तत्व और भोक्तृत्व इत्यादि अनात्म भाव का परित्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना मोक्ष है।[1]
- योग दर्शन में बतलाया गया है कि पुरूष के अपवर्ग प्राप्त करने के पश्चात् महत्तत्व आदि अपने कारण में लीन हो जाते है। इस प्रकार

* *एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत), बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी*
ई–मेल : jyotinverma.99@gmail.com

योग दर्शन के अनुसार जीव को आत्मज्ञान होने पर उसके अविद्याजनित दुःख का विनाश होना ही कैवल्य अर्थात मोक्ष है[2] (तद्भावात् संयोगाभावो हीनं तद् दृशेः कैवल्यम्।)

- न्याय दर्शन के अनुसार दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति को मोक्ष कहते है[3]–तदत्यन्तं विमोक्षोऽपवर्गः।
- वैशेषिक दर्शन के अनुसार–अदृष्ट का अभाव हो जाने पर कर्म चक्र की गति का स्वतः अन्त हो जाता है। आत्मा का शरीर से सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है, जन्म मृत्यु की परम्परा का अन्त हो जाता है[4] – तदभावे संयोगा भावोऽप्रदुर्भावश्च मोक्षः। वैशेषिक दर्शन की श्रीधरी टीका में कहा गया है कि आत्मा के नौ विशेष गुणों–बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रलय, धर्म, अधर्म और संस्कार का उच्छेद हो जाना ही मोक्ष है।[5] नवानात्म विशेषगुणानामत्यन्तोच्छेदः मोक्षः। बुद्धि सुखं दुःखेच्छाद्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्काराः आत्मनो विशेष गुणाः।
- शास्त्रदीपिका के अनुसार सांसारिक बंधनो से सदा के लिये सम्बन्ध विच्छेद हो जाना मोक्ष है[6] – त्रिविधस्यापि बन्धस्यात्यन्तिको विलयो मोक्षः।
- अध्यात्मरामायण के अनुसार अविद्या का अपने कार्य शरीरादि तथा इन्द्रियों के सहित परमात्मा में लीन हो जाना ही मोक्ष है।[7]
- डॉ0 राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक भारतीय दर्शन में मोक्ष विषयक अवधारणा इस प्रकार दी है–मुक्ति अथवा मोक्ष जीवात्मा के सर्वोपरि परमात्मा के साथ संयुक्त हो जाने का नाम है। इसके कई अन्य नाम भी है; जैसे ब्राह्मी स्थिति (ब्रह्म में स्थित हो जाना), कैवल्य अर्थात् एकान्त रूप मोक्ष और ब्रह्म भाव अर्थात ब्रह्म हो जाना।[8]
- ऋग्वेद के एक मंत्र में मुमुक्ष[9], शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ है–मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। इसी वेद के एक अन्य मंत्र में अमर होने की कामना[10] व्यक्त की गई है।
- अथर्ववेद में ब्रह्मवेत्ताओं के लिये काव्य ब्रह्मपद की आकांक्षा की गई है। ऋषि कहता है कि तप और दीक्षा से युक्त होकर ब्रह्मवेत्ता जिस

लोक में जाते है, ब्रह्मा मुझे नहीं पहुंचा दें। वे मेरे अंदर ब्रह्म को स्थापित करें।[11]

यत्र ब्रह्म विदो यान्ति दीक्षया तपसा सह।

ब्रह्मा मा तत्रनयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु में।। अथर्ववेद 19/43/8

- ऋग्वेद में विष्णु के आनंदमय परम धाम का उल्लेख करते हुये उसे प्राप्त करने की कामना व्यक्त की गई है।[12] इसी प्रकार ऋग्वेद[13] और यजुर्वेद[14] में कहा गया है कि हे परमेश्वर! हम आपकी कृपा से शरीर और प्राणों के बंधन से उसी प्रकार मुक्त हो जायें, जिस प्रकार खरबूजा पकने पर लता के संबन्ध से मुक्त हो जाता है। हम मोक्ष सुख से कभी वंचित न हों। मोक्ष विषयक विभिन्न संदर्भो से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब व्यक्ति अविद्याजनित भाव, राग, द्वेष, मोह, तृष्णा, क्लेश आदि विकार नष्ट हो जाते है तो मृत्यु के बंधन स्वतः कर जाते है और वह इसी लोक में आनंद का अनुभव करने लगता है। यही वास्तविक मुक्ति हैं इसी को मोक्ष कहते है।

वेदान्त के अन्तर्गत दार्शनिक सिद्धान्तों के उपदेश–साधन, उपदेश पद्धति अथवा उपदेशोपाय को प्रस्थान कहते हैं। ये प्रस्थान तीन है– उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र और गीता। उपनिषद् श्रुतियों का अंतिम भाग है अतः उन्हें श्रुति प्रस्थान कहते हैं। ब्रह्म सूत्र में उपनिषद वाक्यों का न्यास तर्क के आधार पर सुव्यस्थित ढंग से निरूपण किया गया है, इसलिये ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं। गीता स्मृति ग्रंथ है अतः वह स्मृति प्रस्थान के रूप में प्रसिद्ध है। इन तीनों प्रस्थानों की समाष्टि को प्रस्थानत्रयी कहते हैं।

प्रस्थानत्रयी के प्रथम प्रस्थान श्रुति प्रस्थान में मोक्ष के दो रूपों का उल्लेख किया गया है– 1. अभावात्मक 2. भावात्मक। अभावात्मक रूप के अन्तर्गत जीवात्मा के कर्म बंधन और माया के बंधन से छुटकारा पाने का वर्णन किया गया है तथा भावात्मक रूप में जीवात्मा के ब्रह्मलोक में जाकर दिव्य भोगों को भोगने का वर्णन किया गया है। छान्दोग्योपनिषद् में मोक्ष की भावात्मक स्थिति का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि मुक्त जीव ब्रह्मलोक में पहुंच कर अपने मन और दिव्य नेत्रों द्वारा अपने संकल्पो और कामनाओं के अनुसार रमण करता है।[15]

उपनिषदों में मुक्ति के तीन रूप बताये गये है–

1. क्रम–मुक्ति 2. जीव–मुक्ति 3. विदेह मुक्ति

क्रम मुक्ति :– ज्ञानी जीवदेवयान गति से उत्क्रमण कर अर्चि आदि के क्रम से ब्रह्मलोक में पहुंचकर कार्यब्रह्म को प्राप्त होते हैं और अन्त में कार्यब्रह्म से परब्रह्म में लीन हो जाते है।[16]

जीव–मुक्ति :– आत्मज्ञानी जीव ब्रह्म के जानकर ब्रह्म ही हो जाता है– ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति।[17]

ब्रह्मविदाप्नोति परम्।[18]

जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होते है, उनके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है। वे यहीं मुक्ति के आनन्द का अनुभव करने लगते हैं। मुक्ति के लिये उन्हें कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़ता है।[19] उनकी पन्द्रह कलायें अर्थात् प्राणों के सहित सभी इन्द्रियाँ (एकादश इंद्रिया और उनके विषय) अपने–अपने देवता में लीन हो जाती है तथा जीवात्मा और उसके सभी कर्म संस्कार अविनाशी ब्रह्म में मिलकर एक हो जाते हैं।[20] जिस प्रकार नदियां अपना नाम रूप त्याग कर समुद्र में मिलकर उसी का रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी जीव अपने नाम और रूप को त्यागकर ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म हो जाता है[21]–

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय।

तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात्परं पुरूषमुपैति दिव्यम्।
मुण्ड0 34 3/2/8

विदेह मुक्ति :– जिन पुरूषों ने वेदान्त शास्त्र के ज्ञान द्वारा वेदान्त के अर्थभूत परब्रह्म के स्वरूप का निश्चय कर लिया है और कर्म फल रूप संपूर्ण भोगों के त्याग रूप योग से जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है; वे मृत्यु के पश्चात् ब्रह्मलोक में जाकर परम अमृत स्वरूप होकर सर्वथा मुक्त हो जाते है।[22]

वेदान्तविज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद् यतयः शुद्ध सत्वाः।

ते ब्रह्मलोकेशु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे।।
मुण्ड0 3/2/6

उपनिषदों में विदेह मुक्ति के चार रूपों का वर्णन मिलता है–

1. साम्यमुक्ति 2. सालोक्य मुक्ति 3. सृाष्टि मुक्ति 4. सायुज्य मुक्ति

साम्य मुक्ति में जीवात्मा पाप और पुण्य से मुक्त होकर निर्मल मन से ब्रह्म की समता को प्राप्त कर लेता है।[23] सालोक्य मुक्ति को प्राप्त हुआ जीवात्मा परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है कर्मफल के बंधनों से छूटकर, अमृत स्वरूप होकर सांसारिक बंधनों से सदा के लिये मुक्त हो जाता है।[24] सृाष्टि मुक्ति में व्यक्ति सत्य, ज्ञान और अनन्त ब्रह्म को जान लेता है। परम आकाश में निवास करते हुये भी प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। वह विज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ सम्पूर्ण भोगों का अनुभव करता है।[25]

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, यो वेद निहितं गुहायां परमे

व्योमन् सोऽश्नतु सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपष्चितेति। तैति0 2/1

सायुज्य मुक्ति में विशुद्ध अन्तः करण वाले ज्ञानी जीव ब्रह्म को प्राप्त कर और ज्ञान से तृप्त होकर परम शांति का अनुभव करते हैं। वे परमात्मा को सब ओर से प्राप्त कर सर्वरूप परमात्मा में ही प्रवेश कर जाते है।[26]

ब्रह्म सूत्र में मोक्ष का स्वरूप :– ब्रह्म सूत्र में कहा गया है कि आप्त काम और निष्काम जीव को इसी लोक में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसे मुक्ति के लिये कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है।[27] जीवनमुक्त की अवस्था में जीवात्मा के सभी संचित और क्रियमाण कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो जाते हैं। किन्तु जीव मुक्त जीवात्मा को भी प्रारब्ध का भोग भोगने की अवधि तक अपना शरीर धारण करना पड़ता है।[28] मुमुक्षुओं को प्राणों के उत्क्रमण के समय उनके हृदय का अग्रभाग प्रकाशित हो जाता है। उस प्रकाशित द्वार से जीवात्मा ब्रह्मविद्या के प्रभाव और अन्तर्यामी ब्रह्म की कृपा से हृदय से निकलने वाली एक सौएक नाड़ियों में से सर्वोत्तम नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ब्रह्मरन्ध्र से बाहर निकलता है।[29]

तदेकोऽग्रज्वलनं तत्प्रकाशित द्वारो विद्या सामर्थ्यात्

तच्छेष गत्यनुस्मृति योगाच्च हार्दानुगृहीतः शताधिकया।।

ब्रह्मसूत्र 4/2/17

ब्रह्मलोक पहुंचने पर मुक्त जीव का अपने वास्तविक रूप में आविर्भाव हो जाता है। वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। उस समय वह ब्रह्म के समान दिव्य, शुद्ध और चेतन स्वरूप हो जाता है।[30]

गीता में मोक्ष का स्वरूप :— गीता में कहा गया है कि जो जीव ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा के लोक में जाने वाले जीवों को, उनके पुण्यों के क्षीण होने पर मृत्युलोक में पुनः लौटकर आना पड़ता है।[31] परन्तु जो जीव ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अविनाशी और अव्यक्त ब्रह्म का परम धाम प्राप्त होने पर जीव को पुनः मृत्युलोक में लौटकर नहीं आना पड़ता है।[32]

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्।

यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। गीता—8/21

बौद्ध दर्शन में मुक्ति का स्वरूप :— बौद्ध दर्शन में मोक्ष की जगह निर्वाण शब्द मिलता है। भगवान बुद्ध ने कहा है निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं— निब्बांनं परमं सुखम्।[33] निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझना, जैसे तेल के क्षय से दीपक बुझ जाता है वैसे ही अविद्या और क्लेश के क्षय से धीर पुरूष निर्वाण प्राप्त करते है।[34]

भगवान बुद्ध प्रायः कहा करते थे— भिक्षुओं ! मैं दो बातों का ही उपदेश देता हूँ— 1.दुःख और 2. दुःख निरोध। दुःख संसार है ओर दुःख निरोध निर्वाण। दुःख का मार्मिक वर्णन करते हुये बुद्ध ने कहा है— भिक्षुओं! क्या तुम जानते हो कि इस संसार के सुदीर्घ मार्ग में दौड़ने वाले, इस जन्म—मरण चक्र में पिसने वाले प्राणियों ने बार—बार जन्म लेकर रो—रोकर जो आंसू बहाये है, वे अधिक है या इन चारों महासमुदों का जल? इन प्राणियों का जो रक्त बहा है, वह अधिक है या इन चारों महासागरों का जल?[35] भगवान बुद्ध ने अनुत्तर शांति पद और दुःख निरोध की खोज में घर—बार छोड़ा था। उनकी खोज तब पूर्ण हुई जब उन्होंने सम्बोधि में गंभीर, शांत, उत्तम और तर्कातीत धर्म को प्राप्त किया। इस धर्म को उन्होने दो भागों में वर्णित किया— 1. प्रतीत्यसमुत्पाद और 2. निर्वाण।[36]

प्रतीत्यसमुत्पाद अनित्य संस्कारों के प्रवाह रूप संसार को परतंत्र और सापेक्ष सूचित करती है। प्रतीत्य का अर्थ है अपेक्षा रखकर 'निर्भर' या 'आश्रित रहकर' एवं समुत्पाद का अर्थ है– उत्पत्ति अतः प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थ हुआ– कारण की अपेक्षा रखकर या कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति। कार्य सदा कारण सापेक्ष होता है। कारण के होने पर ही कार्य होता है तथा कारण के न रहने पर कार्य भी नहीं रहता और न उत्पन्न हो सकता है। यह सिद्धान्त द्वितीय और तृतीय आर्य सत्य के अन्तर्गत है– दुःख की उत्पत्ति का कारण है– (दुःख समुदय) एवं इस कारण का निरोध कर देने पर दुःख भी नहीं रहता। (दुःख निरोध)। इस प्रकार दुःखसंसार है दुःख निरोध निर्वाण। वह निर्वाण जहां अविद्या का नाश, सारे संस्कारों का उपशम तथा तृष्णा का क्षय होकर अमृत प्राप्त होता है– अविद्या के नाश से ही भव चक्र का नाश संभव है। अविद्या और क्लेश के क्षय से ही धीर पुरूष निर्वाण प्राप्त कर सकते है। बुद्ध के अनुसार क्षय अविद्या और उसके कार्यों का होता है निर्वाण या मुक्त का नहीं।

मोक्ष और निर्वाण में साम्य :– यद्यपि सभी प्राचीन धर्म दर्शनों में दुःख की उत्पत्ति का कारण अविद्या क्लेश और कर्म को माना जाता है। ज्ञान के द्वारा आस्त्रवों के क्षीण होने पर अकुप्पा, अनुत्तरा विमुक्ति प्राप्त होती है। यही अर्हत्व है। विमुक्ति की अवस्था राग, द्वेष और मोह के क्षय की है और इसे अमृतत्व कहा गया है।[37] यहां सब गांठे खुल जाती हैं एषणाओं का क्षय हो जाता है, बन्धन टूट जाते हैं। इस विराग और विसंयोग, निरोध और विमुक्ति की दशा को निर्वाण माना गया है।[38]

बौद्ध दर्शन में वर्णित निर्वाण का स्वरूप उपनिषदों के मोक्षपरक वाक्यों से साम्य रखता है। मुण्डोकपोनिषद में सर्वगुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति।[39] अर्थात बुद्धि की गांठों से मुक्त, व्यक्ति अमर हो जाता है। यही बात कठोपनिषद में भी इस प्रकार कही गई है–

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते। कामा येऽस्य हृदि स्थिताः। अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते।[40] जब मर्त्य को हृदय स्थित सब कामनायें छूट जाती है तो वह अमर हो जाता है, और ब्रह्मप्राप्ति करता है।

उक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मोक्ष ओर निर्वाण दोनों में आस्त्रव, एषणाये, राग, द्वेष, मोह, संयोजन, तृष्णा, कर्म, भव, नाम, रूप, संस्कार, उपाधि आदि का अशेष निरोध हो जाता है। समासतः जन्म मरण की परम्परा अविद्या, क्लेश और कर्म पर आश्रित है। विद्या से क्लेश क्षीण हो जाता है। इस प्रकार संसार चक्र का निरोध हो जाता है। इसे ही मोक्ष या निर्वाण कहते हैं।

निर्वाण का वैशिष्टय :– बुद्ध ने निर्वाण के स्वरूप में मूलतः तीन बातें है–

1. किसी आत्मा का सुख नहीं बल्कि प्राणी का सुख।
2. संसार में रहते हुये प्राणी का सुख न कि मरणोपरान्त आत्मा की मुक्ति या ब्रह्मलोक के कल्पनातीत सुख की कामना।
3. बुद्ध के निर्वाण का तीसरा मूलाधार हैं राग द्वेषाग्नि को शान्त करना। राग द्वोष की अधीनता ही आदमी को दुखी बनाती है। राग द्वेष का बंधन ही आदमी को निर्वाण तक नहीं पहुंचने देता। राग द्वोष और मोह से मुक्त व्यक्ति का निर्वाण पथ खुल जाता हैं और वह दुःखों का अन्त कर सकता है।

प्रस्थानत्रयी में मोक्ष और बौद्ध दर्शन में निर्वाण दोनों में शाब्दिक रूप से भिन्नता दिखाई देती है। किन्तु सैद्धान्तिक रूप से दोनों का अर्थ और मन्तव्य एक ही प्रतीत होता है। बुद्ध ने अपने समय में प्रचलित कई दार्शनिक मतों का खण्डन किया है। जीवन और जगत से जुड़े तमाम प्रश्नों के उत्तर में बुद्ध मौन रहे हैं। उनके मौन का यह अर्थ कदापि नहीं निकलता कि वे दार्शनिक सिद्धान्तों से अनभिज्ञ थे या उनके कोई दार्शनिक सिद्धान्त नहीं थे, या वे अज्ञेय वादी थे या निषेधवादी थे। वे मौन इसलिये रहे क्योंकि जीवन से संबधित प्रश्नों के पक्ष और विपक्ष, सत्य और असत्य दोनों सिद्ध किये जा सकते है। सविकल्प सापेक्ष बुद्धि इनका उत्तर नहीं दे सकती। बुद्धि इन प्रश्नों के उत्तर में विरोधों को जन्म देती है और साथ में यह भी संकेत करती है कि केवल निर्विकल्प अनुभूति ही इनका उत्तर साक्षात्कार द्वारा दे सकती है।[41] बुद्ध की दृष्टि में ये प्रश्न पारमार्थिक दृष्टि

से व्यर्थ है, व्यवहार में इनका कोई उपयोग नहीं। इन प्रश्नों के उत्तर से दुःख निरोध में कोई सहायता नहीं मिलती। और न हीं व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में कोई राह। बुद्धवचन है– हे पोट्ठपाद! प्रश्न न तो अर्थयुक्त हैं, न धर्मयुक्त, न ब्रह्मचर्य के लिये उपयुक्त हैं, न निर्वेद के लिये हैं, न विरोग के लिये, न दुःख निरोध के लिये, न शांति के लिये, न अभिज्ञा के लिये न सम्बोधि के लिये और न निर्वाण के लिये। इसीलिये मैने इन्हे अव्याकृत कहा है।[42]

निष्कर्ष :– उपनिषदों में यद्यपि ज्ञान को मुक्ति का प्रधान साधन माना गया है तथापि शील और कर्म की परिशुद्धि तथा सांसारिक एषणाओं और कामनाओं की हेयता का भी प्रतिपादन किया गया है। उपनिषदों में याज्ञिक कर्म के स्थान पर नैतिक सत्कर्म को प्रतिष्ठित कर दिया गया था, किंतु ब्राह्ममण धर्म में उस समय उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित शील और ज्ञान का मार्ग अल्पसंख्यक विचारकों का मत था। साधारण तौर से वैदिक धर्म में द्रव्य–साध्य यज्ञादि के अनुष्ठान एवं नाना गृहय कर्मो का प्राधान्य था। इसके विपरीत बौद्ध दर्शन में शील पर बहुत जोर दिया गया है और उसकी बड़े विस्तार से व्याख्या की गई है। उपनिषदों में सर्वजन श्राव्य अभिभाषण नहीं है, प्रत्युत विशिष्ट अधिकारियों के लिये सूक्ष्म संकेत है। जबकि बौद्ध धम्म में प्रचुर विस्तार से सबकों समझने के लिये, बराबर शील के ही विस्तार पर व्याख्यान दिया गया है। अहिंसा, करूणा, अपिरग्रह, शान्ति और वैराग्य का जैसा महत्व बौद्ध धर्म में है वैसा उपनिषदों में नहीं है। ध्यान और समाधि का भी प्राचीन बौद्ध संदर्भो में अधिक परिस्कृत और विस्तृत वर्णन मिलता है उतना प्रस्थानत्रयी में नहीं। सबसे महत्वपूर्ण भेद ज्ञान में स्वरूप और अविद्या के नाश के स्वरूप के विषय में है। उपनिषदों में ज्ञान श्रुतिया शब्द के द्वारा ही प्रधान रूप से प्राप्त होता है यद्यपि मनन और निदिध्यासन का भी उपदेश किया गया है, किंतु यह उपदेश दूसरी श्रेणी के अधिकारियों के लिये है सर्व सामान्य के लिये नहीं। किन्तु बौद्ध धर्म में शब्दों के द्वारा केवल मार्ग ही बताया गया है। चित्त के परिष्कार से ज्ञान स्वतः उद्भूत होता है और ज्ञान के उत्पन्न होते ही अविद्या क्लेश आदि का क्षय होकर निर्वाण का पथ प्रशस्त हो जाता है। मार्गों में

अष्टांगिक मार्ग, सत्यों ने चार आर्य सत्य, धर्मो में वैराग्य, निरासक्ति और मनुष्यों में ज्ञाान नेत्रधारी बुद्ध श्रेष्ठ है। चित्त की विशुद्धि के लिये यही मार्ग है दूसरा नहीं है। इसी पर व्यक्ति आरूढ़ होकर दुःखों का अन्त कर सकता है। यही मुक्ति का मार्ग है। सारांश में मन के विकार अपने अज्ञान से जनित है उसे स्वयं हमें अपने प्रयास से ही कम करना होगा अन्य के द्वारा संभव नहीं है।

संदर्भ ग्रन्थ

- *भगवत पुराण – 2/10/6*
- *योग दर्शन– साधनापाद/25*
- *न्याय दर्शन – 1/1/22*
- *वैशेषिक दर्शन –5/2/18*
- *वैशेषिक दर्शन श्रीधरीटीका–3/2/4*
- *शास्त्रदीपिका /125*
- *अध्यात्म रामायण–3/4/43–44*
- *भारतीय दर्शन –डॉ0 राधा कृष्ण पृष्ठ, 531*
- *मुमुक्ष्वो मनवे मानवस्येते। ऋग्वेद–1/140/4*
- *स्तोता वो अमृतः स्यात– ऋग्वेद–1/38/4*
- *अथर्ववेद–19/43/8*
- *ऋग्वेद–1/22/20*
- *ऋग्वेद–7/59/12*
- *यजुर्वेद–3/60*
- *छान्दोग्योपनिषद् –8/12/5–6*
- *छान्दोग्योपनिषद्–5/10/1–2*
  वृहदारण्यकोपषिद्–6/2/15
- *मुण्डकोपनिषद्–3/2/9*
- *तैत्तिरोयोपनिषद–2/1*
- *कठोपनिषद्–2/3/14–15*
  वृहदराण्यक 340–4/4/6
- *मुण्डकोपनिषद्–3/2/7*
- *मुण्डकोपनिषद्–3/2/8*
- *मुण्डकोपनिषद्–3/2/6*
- *मुण्डकोपनिषद्–3/1/3*
- *मुण्डकोपनिषद्–3/2/6*
- *तैत्तिरीयोपनिषद्–2/1*
- *मुण्डक उपनिषद्–3/2/5*

- *ब्रह्म सूत्र –4/2/13*
- *ब्रह्म सूत्र –4/1/13–15*
- *ब्रह्म सूत्र – 4/2/17*
- *ब्रह्म सूत्र – 4/4/1–6*
- *गीता–8/15–16*
- *गीता–8/21*
- *घम्मपद–मलवग्गो*
- *सौन्दरनंद–16/28–29*
- *संयुक्त निकाय–15/3*
- *संयुक्त निकाय–5/8*
- *संयुक्त निकाय*
- *मज्झिम निकाय – 1/304*
- *मुण्डोपनिषद्–3/2/9*
- *कठोपनिषद्–6/14*
- *दीर्घ निकाय–9, पोट्ठपाद सन्तु*
- *दीर्घनिकाय–9, पोट्ठपाद सन्तु*

महिलाओं के सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका

(उत्तराखण्ड की पहल संस्था के विशेष संदर्भ में)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार*, डॉ. नीरजा सिंह**

नाबार्ड द्वारा प्रचारित व प्रसारित स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम आज विश्व में ग्रामीण निर्धन, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु सबसे बडा सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम बन चुका है। सरकारी विभागों, विकास/विस्तार एजेन्सियों, स्वैच्छिक संस्थाओं की इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप ग्रामीण निर्धनों में पहले बचत, फिर ऋण की अवधारणा का संचार हुआ तथा उन्हें ऋण द्वारा रोजगारपरक व जीवकोपार्जन गतिविधियों को क्रियान्वित करने की प्रेरणा भी मिली। राष्ट्रीय बैंक का उद्‌देश्य, इस कार्यक्रम के अंतर्गत समूह प्रणाली को न केवल निर्धनों तक पहुँचाना है, अपितु ऐसे समूहों को बैंक से जोडना भी है, ताकि उनकी अधिकतम आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसके साथ–साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को मुख्य धारा से जोडकर उन्हें जागरूक कर उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है, ताकि वे अपने अन्दर के ज्ञान, कौशल, गुणों व हुनर को पहचान सकें तथा अपने सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए स्वयं पहल करें। इस प्रकार के प्रयासों में स्वयंसेवी संथाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय बैंक ने इस दिशा में 1992 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरूआत की थी जिसने आजकल जन आन्दोलन का रूप ले लिया है और यह प्रणाली लगभग सभी बैंकों की आम गतिविधि बन चुकी है। अभी तक स्वयं सहायता समूह ज्यादातर दक्षिण भारत के प्रदेशों में ही सीमीत रहे हैं, परन्तु कुछ वर्षों से उत्तरी भारत के

* *सहायक प्राध्यापक, कृषि एवं विकास अध्ययन विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखण्ड)*

** *सहायक प्राध्यापक, (समाज कार्य), उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखण्ड)*

निर्धन ग्रामीण, इस पद्धति को न केवल बड़ी तेजी से अपना रहे हैं, बल्कि बैंक ऋण भी प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की सफलता व इस कार्यक्रम के लाभार्थियों की पहलकदमियों को देखते हुए नाबार्ड द्वारा सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम की योजना तैयार की गई है, जिसमें परिपक्व समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान है, ताकि वे आर्थिक स्तर पर स्वावलंबी हो सकें।

स्वयं सहायता समूह, ऐसे ग्रामीण लोगों का एक समूह है, जिसकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी होती है। यह लोग अपनी इच्छा से एक समूह में संगठित होकर नियमित रूप से 10/– रू0, 20/– रू0 या इससे ज्यादा बचत करके जरूरत मंद सदस्यों को ऋण का लेन देन करते हैं (बीमारी के इलाज, कृषि, शादी, व्यवसाय आदि के लिए)। हर सप्ताह या 15 दिन बाद या हर माह बैठक में बचत की राशि सदस्यों द्वारा जमा की जाती है तथा ऋण का लेन–देन किया जाता है।

स्वयं सहायता समूह में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 सदस्य होते हैं।

बचत समूह का गठन करने के लिए जरूरी है, ऐसे इच्छुक कृषक या महिलाएं जो समान विचार धारा रखते हैं अपना बचत समूह गठित कर सकती है। गठित समूह को वह कोई भी नाम दे सकती है। (जैसे– सुरभि, अभियान) जिसके द्वारा समूह की पहचान हो सके।

बचत समूह अपने गठित सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और दूसरे को कोषाध्यक्ष चुनता है, जो बचत की लेन–देन और बैंक में समूह अपने नाम से खाता खोलता है और यही 2 सदस्य मिलकर बैंक से रूपया निकाल सकते हैं और जमा कर सकते है। अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष हर वर्ष बदलते रहते हैं। यदि समूह चाहे तो सचिव पद का चुनाव भी कर सकता है।

समूह में बचत की धनराशि या समय निश्चित है। सदस्य जब चाहे तब अपनी बचत नहीं कर सकते हैं, उन्हें हर माह में बचत करके बैठक के समय समूह में जमा करना है।

समूह अपने सदस्यों का दी जाने वाली या ली जाने वाली ब्याज

की दर स्वयं निश्चित करता है, जो 2–3 प्रतिशत हो सकती है। किसी–किसी मामले में जैसे–बीमारी आदि में ब्याज को माफ कर सकता है बशर्तें लिया गया धन निश्चित समय में लौटा दिया जाये।

जब समूह छः माह तक ठीक प्रकार से चलने लगते है तो वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण लेने के अधिकारी हो जाते हैं, समूह अपनी जमा की गयी धनराशि का 4 गुना तक धन बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकता है। **समूह में एस0 जी0 एस0 वाई0** से प्राप्त फंड को समूह के सदस्यों की आर्थिक उन्नति के कार्यक्रमों में लगाकर आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

समूह को जो ऋण बैंक से प्राप्त होता है, उस पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष यानी 1 प्रतिवर्ष प्रतिमाह का ब्याज देय होता है, जबकि समूह सदस्यों से 2 प्रतिशत का ब्याज लेता है। इस प्रकार समूह को 1 प्रतिशत की आमदनी प्रतिमाह हो जाती है।

समूह के प्रत्येक सदस्य की अपनी एक पासबुक होती है, जिसमें उनके द्वारा जमा की गई बचत, ब्याज और उधार लेने का ब्यौरा लिखा जाता है।

समूह प्रत्येक माह में अपनी मासिक बैठक करते रहते हैं और उसमें सदस्यों को उधार दिये गये धन और उसकी वापसी की समीक्षा होती रहती है।

समूह अपने सदस्यों द्वारा जमा की गई, उधार ली गई धनराशि और ब्याज का हिसाब–किताब पासबुक के माध्यम से रखता है, जिसे मासिक बैठक में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे सभी सदस्यों को उनके द्वारा जमा की गई, उधार ली गई तथा ब्याज की जानकारी होती रहे।

समूह को समय से ऋण न लौटाने पर समूह बैठक में दण्ड निर्धारित कर सकता है।

ग्रामीणों की जीवन रेखा बने समूह– गरीबों के सामने अनेक समस्याएं होती हैं। उनके पास सिर्फ एकमात्र पूंजी श्रम होती है। इस श्रम

का सही उपयोग करने और इस वर्ग को सुखद जीवन व्यतीत करने लायक साधन देने का काम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने स्वयं सहायता समूह का विचार देकर किया है। इससे ग्रामीण और किसान लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में कथित एनजीओ ही इन समूहों के निर्माण की खानापूर्ति करते हैं।

नाबार्ड के सहयोग से खुलने वाले समूहों को बैंक भी उनकी साख देखते हुए ऋण देता है।

समाज का होता है विकास–

- समूह में संगठित होकर अच्छे समाज के निर्माण की संभावना बनती है।
- सामाजिक कुरीतियों को दूर करके लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है।
- विकास में महिलाओं की सहभागिता होती है।
- मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, इत्यादि लेने के लिए।
- घोड़ा गाड़ी, खच्चर गाड़ी, बैलगाड़ी, ठेलियां इत्यादि, खरीदने के लिए।
- जमीन खरीदने, गिरवी जमीन छुड़ाने, साहूकारी कर्ज वापस के लिए।

ऋण ले सकते हैं– खाद–बीज खरीदने के लिए, फल–सब्जी, फसल उगाने के लिए, नर्सरी , फूलों की खेती के लिए, बकरी, भेड़पालन, गाय, भैंस, इत्यादि के लिए।

बैंकों को भी है समूह से लाभ– बैंकिंग को अधिक लोगों तक बिना किसी अतिरिक्त लागत के पहुंचाना संभव हो पाता है।

- सामूहिक दबाव से अच्छी वसूली हो जाती हे।
- सदस्यों की अल्प बचत से बड़ी रकम जमा हो जाती है।
- बैंक की छवि जनसामान्य में अच्छी होती है।
- बैंक सेवाओं से वंचित लोगों को बैंकों से जोड़ दिया जाता है।
- समूह की संरचना के आधार पर समूह का नाम रखा जाता है।

- एक परिवार से एक से ज्यादा सदस्य न हों।
- समूह में 10–20 सदस्य होने चाहिए।
- समूह स्त्रियों के या पुरूषों के या मिश्रित दोनों प्रकार के हो सकते हैं।
- किसी भी बैंक में खाता सदस्यों के नाम से नहीं समूह के नाम से खुलवाया जाता है।

पहल संस्था काठगोदाम द्वारा बनाये गये स्वयं सहायता समूह में बचत एवं इसकी दैनिक प्रक्रिया

बचत क्या है– किसी व्यक्ति द्वारा फिजूल खर्चों में कटौती करके बचाया गया धन बचत कहलाता है। माना एक व्यक्ति की आय 1000 रूपया प्रतिमाह है। उसमें से आवश्यक खर्चों में से 800 रूपये खर्च हो जाते हैं और 200 रूपये बचते हैं ये 200 रूपये बचत नही। बल्कि बढ़त है। यदि वह 800 रूपये में से ही कुछ कटौती करके पैसा बचा लेता है तो वह बचाया गया धन बचत कहलाता है।

(क) बचत ऋण उपलब्ध कराने का ही एक माध्यम मात्र नहीं है बल्कि नियमित बचे–खुचे में से बचत करना एक अच्छी व्यवहारिक प्रक्रिया है, जिसे हर परिवार को अपनाना चाहिए।

(ख) बचत से सम्बन्धित समूह को लाभ मिलता है तथा इसकी रचना शक्ति में वृद्धि होकर समूह के सम्बन्धित सदस्यों को शक्तिशाली बनाने में सक्रिय योगदान होता है।

(ग) महाजनों एवं अन्य प्रकार के कर्ज देने वाले स्रोतों के अत्याचार से समूह के सामूहिक बचत से स्वयं तो बचते ही हैं इसके साथ–साथ अन्य लोगों को भी मार्ग प्रदर्शक बन जाते हैं।

(घ) इस अनूठी प्रक्रिया में बचत करने वाले एवं ऋण देनेवाले व्यक्तियों मेंएक सीधा पारदर्शी सम्बन्ध होता है।

(ङ) अतः व्यक्ति के माध्यम से सामूहिक जमा राशि को अपनी स्वयं की पूंजी समझ कर एक दूसरे के बीच अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक अन्तः उद्यम व्यवस्था को बढ़ावा देता है। इस व्यवस्था

के अन्तर्गत एक दूसरे के बीच ऐसी संस्कृति जन्म लेती है जहां सदस्य पारस्परिक रूप से एक दूसरे के सहारे इस बचत का अधिक से अधिक सदुपयोग करना चाहता है।

साहित्य का पुनरावलोकन

वैसे तो गांव घर में एक दूसरे के बीच किसी खास सामाजिक कार्य प्रयोजन पर मदद लेने और देने की परम्परा सदियों से चली आ रही है परन्तु इसका फैलाव विकास की प्रक्रिया में सुसंगठित होकर नहीं किया गया। जहां तक स्वयं सहायता समूह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का प्रश्न है। इसकी शुरूआत देश की प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्था सेल्फ इम्पल्वाइड वीमेन एसोशिएसन अहमदाबाद, मयराडा, बंगलोर आदि द्वारा वैकल्पिक, ऋण प्रणाली की खोज तथा अनुसंधान के माध्यम से मुख्य रूप से शुरूआत की गयी थी। मुख्य रूप से मयराडा, बंगलोर के इतिहास को देखा जाए तो इस संस्था ने वर्ष 1968 से ही सामाजिक कार्य के प्रति अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी। शुरूआती दौर में मयराडा ने मुख्य रूप से चीन युद्ध के पश्चात् तिब्बत से आये तिब्बतियों को पुनर्स्थापित करने का कार्य शुरू किया। 1968 से 1979 तक केवल तिब्बती रिफ्यूजी को बसाना एवं उनकी सहायता पर विशेष बल दिया। इस दौरान 15000 लोगों को सुख सुविधाओं से लाभान्वित कराया। इसी के साथ दूसरे चरण में पहले चरण के 10 वर्षों के अनुभव के आधार पर 1978 से भारतीय गरीब समुदाय के साथ कार्य करनाशुरू किया जिसके माध्यम से वर्ष 1974 तक कुल 8,50,000 लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई। इस प्रकार वर्ष 2000 तक 10,00,000 लोगों को सुविधाएं देकर उनके जीवन स्तर को उठाने के कार्य का लक्ष्य बनाया गया। इस प्रकार लोगों को शिक्षा, सफाई, रोजगार, मकान एवं आयवृद्धि जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने में ज्यादा रूचि दर्शायी।

शिववरामन समिति (शिववरामन कमेटी) की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ तथा कृषि

पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है। कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के उन्नयन और विकास के लिए ऋण प्रवाह सुविधाजनक बनाने के अधिदेश के साथ नाबार्ड 12 जुलाई 1982 की एक शीर्ष विकासात्मक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। उसे ग्रामीणों क्षेत्रों में अन्य संबंधित क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करने, एकीकृत और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि सुनिश्चित करने का भी अधिदेश प्राप्त है। नाबार्ड का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं को वित्त उपलब्ध कराना।

संस्थागत विकास करना या उसे बढ़ावा देना।

ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो संस्थान निवेश और उत्पादन ऋण उपलब्ध कराते है उनके वित्तपोषण की एक शीर्ष एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

उपरोक्त कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह के परिप्रेक्ष्य में मुख्य रूप से मयराडा ने निम्न मुद्दों पर विशेष बल दिया। जैसे –

- सामुदायिक क्रियाशील समूह के माध्यम से ग्रामीण शाखा पद्वति।
- महिलाओं का संगठन बनाना जिससे स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जा सके।

अतः उपरोक्त अनुभव के आधार पर निम्नलिखित संबंधित बातें सीखने की दृष्टि से उभर कर आयी।

क) जन समुदाय जिसकी आय एवं अन्य सामाजिक पहलुओं में कमोवेश एक सी समानता थी। एक छोटे समूह के माध्यम से अपनी–अपनी आवश्यकताओं, समस्याओं, भावनाओं, अपेक्षाओं आदि उम्मीदों को लेकर निरन्तर प्रयास करते हैं। अतः इस मानवीय पारदर्शी पूँजी पर टिकाउ एवं बहुआयामी प्रभाव डालने के लिए हम सभी का अपनी–अपनी प्रक्रिया में उनके उत्साह को निरंतर जाग्रत करना एक महत्वपूर्ण अंग होता है।

ख) इन समस्तरीय समूहों के सदस्यगण अपने–अपने ज्ञान के प्रति जागरूक रहकर स्वयं के अन्दर क्षमता को विकसित कर अपने व्यवहार में अमल करने प्रति उत्कंठित रहते हैं।

ग) समस्तरीय समूह के सदस्य वही सीखने और अमल करने का प्रयास करते हैं जो उन्हें रूचिकर लगता है।

घ) यह सदस्य समूह मुख्य रूप से अपने समूह के द्वारा स्वचालित होकर अग्रसर होने का प्रयास करते हैं।

ङ) यह समस्तरीय समूह के सदस्यों के साथ–साथ दूसरों को भी विकास की रूझान में लाना चाहते हैं।

समस्या का कथन

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एवं एनजीओ द्वारा देश भर में लघु वित्त सेवाओं के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया जाता है। प्रस्तुत शोध समस्या के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह से सम्बन्धित महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं आजीविका में परिवर्तन एवं सुधार को ज्ञात करने के लिए किया गया है। उक्त शोध हल्द्वानी विकास खण्ड के अर्न्तगत हल्द्वानी, काठगोदाम, दमुवाढुंगा में पहल संस्था द्वारा बनाये गये स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाओं पर आधारित है।

अध्ययन के उद्देश्य

- उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाना।
- उत्तरदाताओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन।
- उत्तरदाताओं की समस्याओं का निरूपण करना।
- स्वयं सहायता समूह में बचत की राशि का आवंटन की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना।
- स्वयं सहायता समूह के द्वारा लोगों को मिल रहे लाभों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना।
- बैंक के साथ स्वयं सहायता समूह का सम्बन्ध एवं ऋण की आवश्यकता का अध्ययन।

- स्वयं सहायता समूह में लेखा–जोखा एवं इसकी व्यवहारिकता का अध्ययन।

शोध प्रविधि

उपकल्पनायें

- स्वयं सहायता समूह के बारे में लोगों में जागरूकता कम है।
- स्वयं सहायता समूह धन आबंटन में पारदर्शिता नहीं अपनाता है।

शोध प्ररचना

यह अध्ययन विवरणात्मक के साथ–साथ मूल्यांकनात्मक शोध प्ररचना पर आधारित है। प्रस्तुत शोध में स्वयं सहायता समूह से लाभान्वित महिलाओं को वास्तव में लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसका मूल्यांकन किया गया है।

अध्ययन का समग्र पहल संस्था द्वारा हल्द्वानी, काठगोदाम, कुसुमखेड़ा, दमुवाढुंगा के स्वयं सहायता समूह की महिलाऐं हैं, जो स्वयं सहायता समूह से लाभान्वित है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से सम्बन्धित आँकडे एकत्र किये गये हैं। अध्ययन की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए एवं अत्यधिक धन हानि से बचने के लिए स्वयं सहायता समूह की केवल 100 महिलाओं का चयन किया गया है।

अध्ययन का समग्र एवं निदर्शन

इस शोध में पहल सस्था द्वारा 500 स्वयं सहायता समूह बनाये गये है। अध्ययन का समग्र एवं निदर्शन हेतु 10 स्वयं सहायता समूह की 100 महिलाओं का शोध के लिए चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि द्वारा किया गया है। स्वयं सहायता समूह से लाभान्वित गरीब महिलाओं के आजीविका के सुधार के समाज कार्य का अध्ययन किया गया है।

तथ्य एकत्रित करने के स्रोत एवं यंत्र

प्रस्तुत शोध अध्ययन में दो प्रकार के स्रोतों से तथ्य एकत्रित किया गया है।

- प्राथमिक स्रोत
- द्वितीयक स्रोत

प्रस्तुत शोध अध्ययन में स्वयं सहायता समूह से लाभान्वित गरीब महिलाओं के आजीविका के सुधार के समाज कार्य का अध्ययन किया गया हैं। अतः ज्यादातर तथ्य प्राथमिक ही हैं। सैद्धान्तिक अध्ययनों के लिए ही द्वितीयक स्रोत से जानकारी लेकर एकत्र की गयी है। प्राथमिक स्रोतों के संकलन में साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है तथा द्वितीयक स्रोत के संकलन में संस्था द्वारा प्रकाशित या अप्रकाशित प्रलेख, पत्र–पत्रिकाओं, रिपोर्ट एवं डायरी, इंटरनेट आदि से भी बहुत सी जानकारियां लेकर अध्ययन के स्रोतों को शामिल किया गया है। प्रस्तुत शोध में साक्षात्कार अनुसूची को शोध अध्ययन में शामिल करने के लिए पहल संस्था द्वारा बनाए गऐ 500 स्वयं सहायता समूह से 10 स्वयं सहायता समूह की 100 उत्तरदाताओं से अभिमत प्राप्त किया गया है।

ऑकडों का सारणीय विश्लेषण एवं व्याख्या

प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त आँकडों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सारणीयन विश्लेषण शोध का एक महत्वपूर्ण चरण है। जिसके द्वारा आँकडों का क्रमबद्वता करके व्याख्या की गयी है। हल्द्वानी विकास खण्ड के अर्न्तगत हल्द्वानी, काठगोदाम, दमुवाढुंगा में पहल संस्था द्वारा बनाये गये स्वयं सहायता समूह का अध्ययन किया गया है। शोध अध्ययन स्वयं सहायता समूह की पारदर्शिता की जाँच के लिए किया गया है। शोध की प्रक्रिया के अर्न्तगत ऑकडों का संकलन करने के पश्चात उन्हें मूर्त रूप देने के लिए उनकी सारणीयन, साँख्यकीय विवेचन तथा विश्लेषण की आवश्यकता होती है। सारणी के द्वारा वर्गीकृत सामग्री को क्रमबद्ध, स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाया जाता है। इससे सॉख्यकीय विवेचन एवं विश्लेषण में सुविधा होती है। साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के आधार पर परिपक्व ऑकड़े प्राप्त नहीं किये जा सकते इसलिए सारणीयन विधि का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

उत्तरदाताओं की आयु सम्बन्धित विवरण

उत्तरदाताओं से प्राप्त आँकडों के आधार पर सर्वाधिक 39 प्रतिशत 21–30 आयु वर्ग वाली महिलाऐं स्वयं सहायता समूह में हैं। इसके पश्चात 28 प्रतिशत 31–40 आयु वर्ग वाली महिलाऐं स्वयं सहायता समूह में हैं तथा मध्य में 24 प्रतिशत 41–50 आयु वर्ग वाली महिलाऐं स्वयं सहायता समूह में हैं निम्न में 9 प्रतिशत 51–60 आयु वर्ग वाली महिलाऐं हैं।

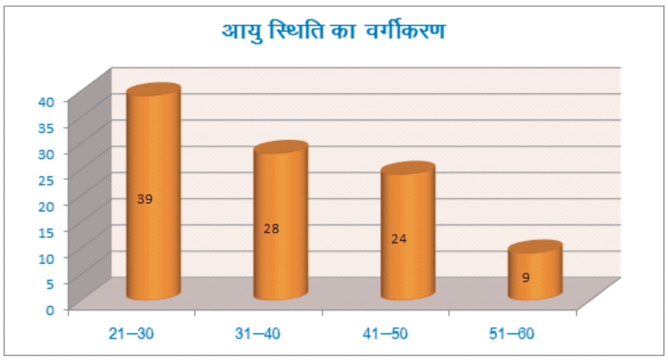

उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों की संख्या से सम्बन्धित विवरण

उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त ऑकडों के आधार पर सर्वाधिक 62 प्रतिशत 3–5 परिवार वाले सदस्यों की है। मध्य में 24 प्रतिशत 6–7 परिवार वाले सदस्यों की है। तथा 04 प्रतिशत 7–8 परिवार वाले सदस्यों की है उसके बाद 09 प्रतिशत 2–3 परिवार वाले सदस्यों की है। निम्न में 01 प्रतिशत 9–14 परिवार वाले सदस्यों की है।

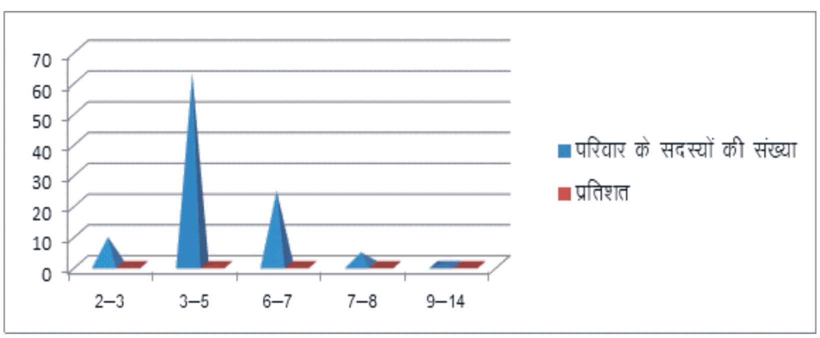

उत्तरदाताओं की साक्षर/निरक्षर सम्बन्धित विवरण

उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त ऑकडों के आधार पर स्वयं सहायता समूह में साक्षर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक 88 प्रतिशत है तथा 12 प्रतिशत निरक्षर महिलाऐं हैं।

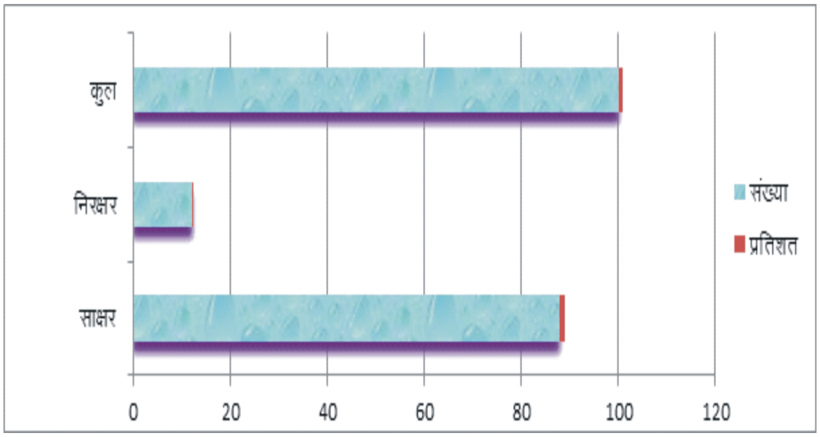

उत्तरदाताओं के आय का स्रोत सम्बन्धित विवरण

उत्तरदाताओं से प्राप्त ऑकडों के आधार पर सर्वाधिक 37 प्रतिशत प्राईवेट जॉब वाले हैं। उसके पश्चात 26 प्रतिशत मजदूरी वाले हैं। तथा 24 प्रतिशत व्यवसाय करने वाले हैं। अन्य जॉब करने वाले 11 प्रतिशत हैं तथा सरकारी नौकरी करने वाले 02 प्रतिशत हैं।

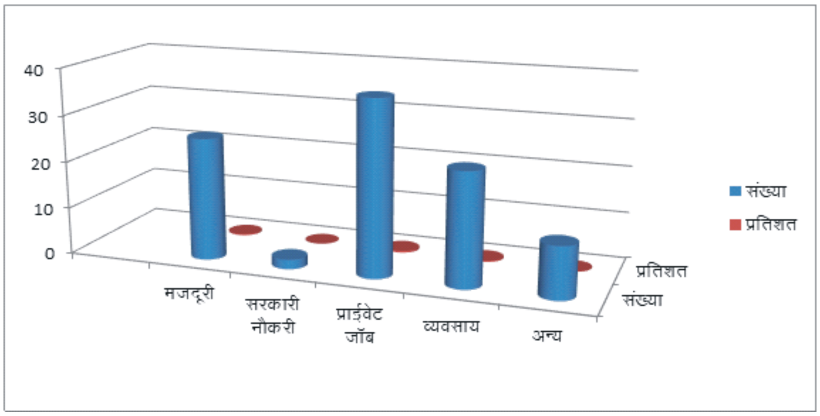

उत्तरदाताओं की वार्षिक आय सम्बन्धित विवरण

उत्तरदाताओं से प्राप्त ऑकडों के अनुसार सर्वाधिक 38 प्रतिशत 97000–108000 वार्षिक आय है। मध्य में 28 प्रतिशत 86000–96000 वार्षिक आय है। तथा 13 प्रतिशत 61000–72000 वार्षिक आय है। तथा 08 प्रतिशत 73000–85000 वार्षिक आय है तथा 07 प्रतिशत 110000–150000 वार्षिक आय है।

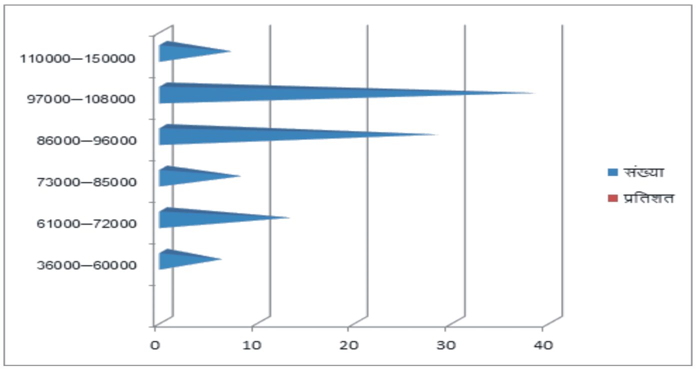

उत्तरदाताओं के परिवार में धनोपार्जन करने वाले सदस्यों की संख्या सेसम्बन्धित विवरण

उत्तरदाताओं से प्राप्त ऑकडों के अनुसार सर्वाधिक 75 प्रतिशत 0–1 धनोपार्जन करने वाले सदस्यों की संख्या है। मध्य में 24 प्रतिशत 2–3 धनोपार्जन करने वाले सदस्यों की संख्या है। निम्न में 01 प्रतिशत 3–4 धनोपार्जन करने वाले सदस्यों की संख्या है।

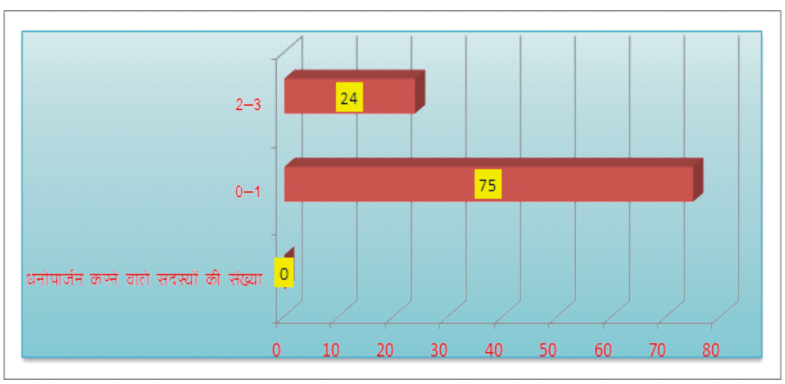

बी0 पी0 एल0 आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले परिवारों से सम्बन्धित विवरण

उत्तरदाताओं से प्राप्त ऑकडों द्वारा ए0पी0एल0 परिवार के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक 70 प्रतिशत है। तथा बी0पी0एल0 परिवार के सदस्यों की संख्या 29 प्रतिशत है। तथा निम्न में अन्तोदय के परिवार के सदस्यों की संख्या 01 प्रतिशत है।

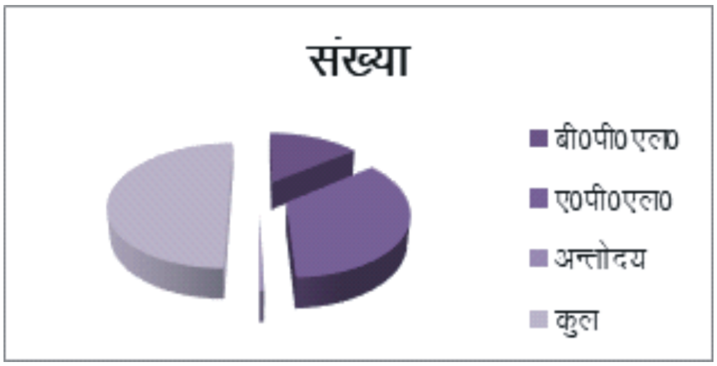

उत्तरदाताओं के समूह के बैंक का नाम से सम्बन्धित विवरण

उत्तरदाताओं से प्राप्त ऑकडों द्वारा स्वयं सहायता समूह में नैनीताल बैंक में खोले गये खाते सर्वाधिक 70 प्रतिशत है। उसके पश्चात भारतीय स्टेट बैंक में 11 प्रतिशत खाते खोले गये हैं।

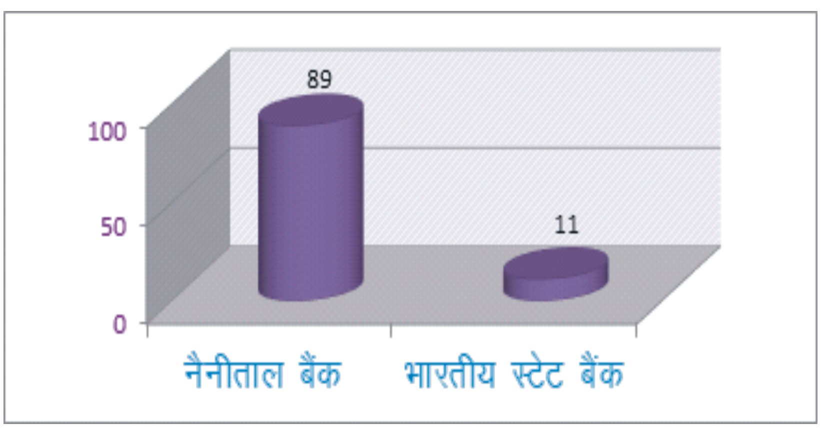

उत्तरदाताओं की समूह में मासिक बचत सम्बन्धित विवरण

उत्तरदाताओं से प्राप्त ऑकडों के आधार पर सर्वाधिक 77 प्रतिशत मासिक बचत रू0 50 स्वयं सहायता समूह में करते हैं। तथा निम्न में 23 प्रतिशत मासिक बचत रू0 100 स्वयं सहायता समूह में करते हैं।

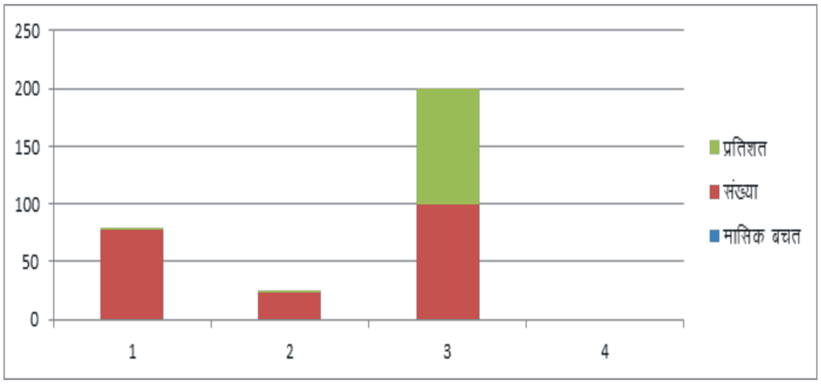

उत्तरदाताओं के समूह द्वारा वर्तमान बैंक में बचत सम्बन्धित विवरण

उत्तरदाताओं से प्राप्त ऑकडों द्वारा स्वयं सहायता समूह में वर्तमान में कुल बचत राशि वाले 1250–2000 सर्वाधिक 40 प्रतिशत है। उसके पश्चात 400–600 कुल बचत राशि वाले 32 प्रतिशत हैं तथा 750–950 कुल बचत राशि वाले 28 प्रतिशत हैं।

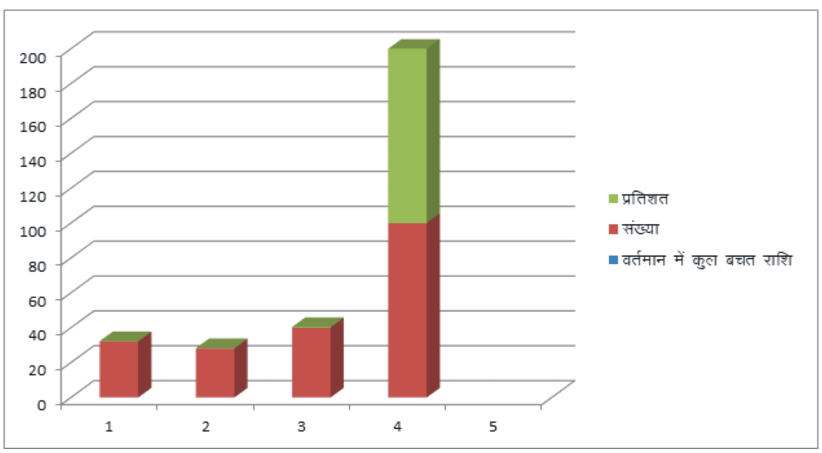

उत्तरदाताओं को सरकारी संस्था/एनजीओ (संस्था) द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त सम्बन्धित विवरण

उत्तरदाताओं से प्राप्त ऑकडों के आधार पर सर्वाधिक 85 प्रतिशत समूह में पेपर बैग का प्रशिक्षण प्राप्त किया हैं। मध्य में 10 प्रतिशत समूह में सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त किया हैं। निम्न में अन्य 05 प्रतिशत प्रशिक्षण प्राप्त किया हैं।

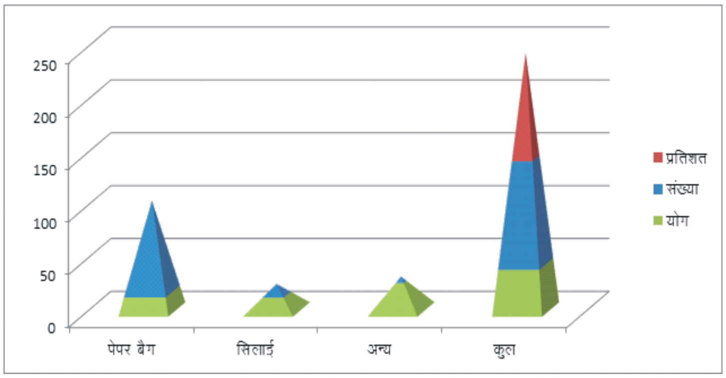

उत्तरदाताओं का समूह से जुड़ने के उद्देश्य से सम्बन्धित विवरण

उत्तरदाताओं से प्राप्त ऑकडों के आधार पर सर्वाधिक 95 प्रतिशत समूह में बचत के उद्देश्य जुड़े हैं। स्वरोजगार के उद्देश्य से जुड़ने वाले 10 प्रतिशत हैं तथा निम्न में 05 प्रतिशत अन्य है।

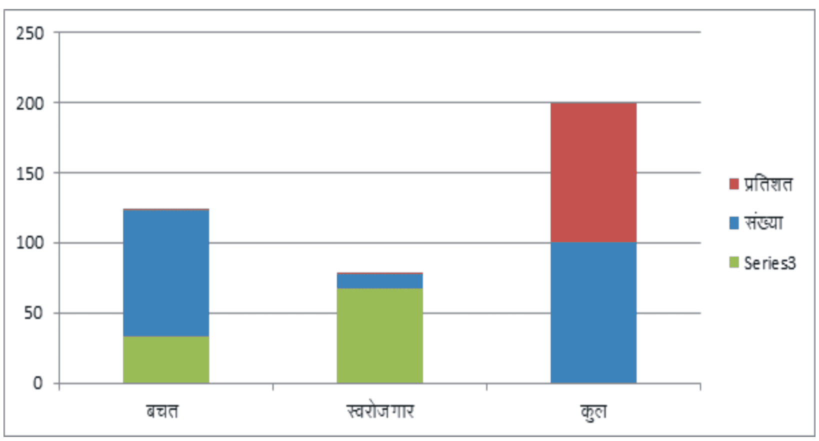

उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त वित्तीय राशि का प्रयोग से सम्बन्धित विवरण

उत्तरदाताओं से प्राप्त ऑकडों के आधार पर सर्वाधिक 75 प्रतिशत महिलाओं ने व्यवसायिक कार्य में किया है। तथा 25 प्रतिशत घर के कार्य में किया गया हैं।

उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त वित्तीय राशि का वर्गीकरण

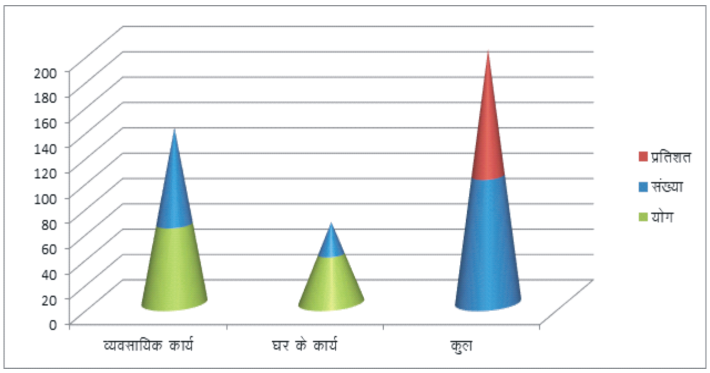

उत्तरदाताओं के स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर में लेखन कार्य का महिलाओं में समझने वाली महिलाओं से सम्बन्धित विवरण

उत्तरदाताओं से प्राप्त ऑकडों के आधार पर सर्वाधिक 88 प्रतिशत समूह के रजिस्टर में लेखन कार्य समझने वाली महिलाऐंहैं। तथा 12 प्रतिशत लेखन कार्य का नहीं समझने वाली महिलाऐं हैं।

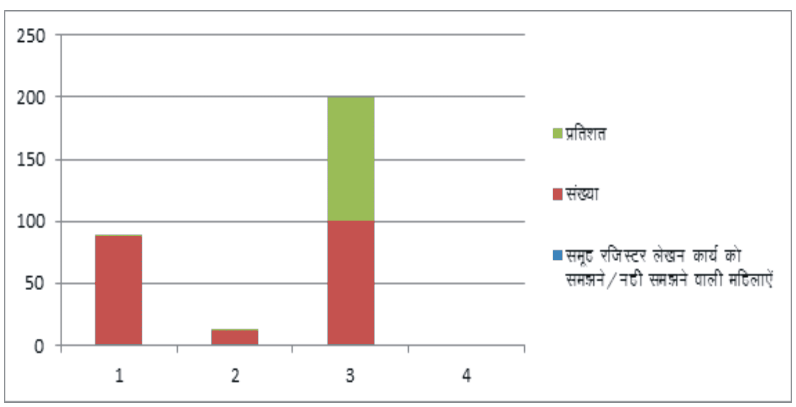

उत्तरदाताओं की स्वयं सहायता समूह से आजीविका में सुधार का विवरण

उत्तरदाताओं से प्राप्त ऑकडों के आधार पर प्रतिशत महिलाओं की आजीविका में सुधार है।

स्वयं सहायता समूह के बारे में लोगों को जागरूकता सम्बन्धित विवरण

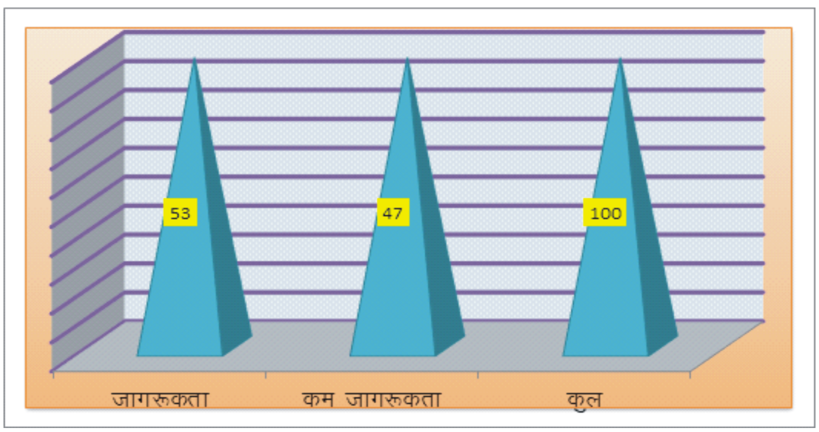

उत्तरदाताओं से प्राप्त ऑकडों के आधार पर सर्वाधिक 53 प्रतिशत महिलाओं को जागरूकता है तथा 47 प्रतिशत महिलाओं को जागरूकता कम है।

यह शोध कार्य पहल संस्था द्वारा गरीब महिलाओं के लिये स्वयं सहायता समूह की योजना को संचालित किया गया है। यह शोध स्वयं सहायता समूह की योजना में गरीब महिलाओं को लाभ मिलने में कितनी वास्तविकता है तथा यह योजना कितनी सफल हुई है यह ज्ञात करने के लिए किया गया है।

स्वयं सहायता समूह की योजना से गरीब महिलाओं को मिलने वाले लाभों एवं आर्थिक सुधार तथा योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों का एक शोध है। जिससे यह जानकारी एकत्रित की गयी है कि क्या वास्तविकता में स्वयं सहायता समूह से गरीब महिलाऐं लाभान्वित हैं। इसके लिए साक्षात्कार विधि का उपयोग किया गया है। जिसमें सारणीयन का उपयोग कर सामग्री का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध किया गया है।

उत्तरदाताओं की समस्याओं का निरूपण

उत्तरदाताओं की समस्याओं को जानने के पश्चात यह तथ्य सामने आया कि परिवार में एकल कमाउ सदस्य होने के कारण अपने बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा इत्यादि दिलाने में सामर्थ नहीं है। जिसके कारण उन्हे रोजगार सम्बन्धी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान या निरूपण के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाऐं जब भी आपसी लेन–देन करें तो उसका निर्णय सामूहिक रूप से लें। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह में बचत तो करें ही साथ ही मिटिंग का समय का दायरा भी बढ़ायें। मिटिंग में व्यक्तिगत समस्याऐं, सामाजिक समस्याओं पर भी गंभीरता से विचार विमर्श करें तथा इसका समाधान खोजें। स्वयं सहायता समूह ने संस्था या विभाग द्वारा जो ट्रेनिंग प्राप्त किया है। उदाहरण के तौर पर पेपर बैग इस ट्रेनिंग का भविष्य में पूर्ण लाभ उठाए तथा सामूहिक तौर पर इस तरह की ट्रेनिंग को प्राप्त कर उससे भविष्य में लघु उद्यम लगाना चाहिए। जिसका लाभ निश्चित तौर पर उनके परिवार को मिलेगा।

उत्तरदाताओं की पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि

प्रस्तुत शोध में स्वयं सहायता समूह से लाभन्वित गरीब महिलाओं की आजीविका के सुधार के परिप्रेक्ष्य में समाज कार्य के अध्ययन हेतु 100

उत्तरदाताओं का अभिमतों को लिया गया है। अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार प्राप्त जानकारी के ऑकड़ों से निष्कर्श प्राप्त किये गये हैं।

आयु–स्वयं सहायता समूह में सर्वाधिक 39 प्रतिशत 21–30 आयु वर्ग वाली महिलाऐं स्वयं सहायता समूह में हैं। इसके पश्चात 28 प्रतिशत 31–40 आयु वर्ग वाली महिलाऐं स्वयं सहायता समूह में हैं। मध्य में 23 प्रतिशत 41–50 आयु वर्ग वाली महिलाऐं स्वयं सहायता समूह में हैं निम्न में 8 प्रतिशत 51–60 आयु वर्ग वाली महिलाऐं हैं।

परिवार के सदस्य– स्वयं सहायता समूह में सर्वाधिक 62 प्रतिशत 3–5 परिवार वाले सदस्यों की है। मध्य में 24 प्रतिशत 6–7 परिवार वाले सदस्यों की है। तथा 04 प्रतिशत 7–8 परिवार वाले सदस्यों की है उसके बाद 09 प्रतिशत 2–3 परिवार वाले सदस्यों की है। निम्न में 01 प्रतिशत 9–14 परिवार वाले सदस्यों की है।

साक्षरता– स्वयं सहायता समूह में साक्षर/निरक्षर स्थितिमें महिलाओं की संख्या सर्वाधिक 88 प्रतिशत है तथा 12 प्रतिशत निरक्षर महिलाऐं हैं।

आय का स्तर– स्वयं सहायता समूह में सर्वाधिक 37 प्रतिशत प्राईवेट जॉब वाले हैं। उसके पश्चात 26 प्रतिशत मजदूरी वाले हैं। तथा 24 प्रतिशत व्यवसाय करने वाले हैं। अन्य जॉब करने वाले 11 प्रतिशत हैं तथा सरकारी नौकरी करने वाले 02 प्रतिशत हैं।

वार्षिक आय–स्वयं सहायता समूह मेंसर्वाधिक 38 प्रतिशत 97000–108000 वार्षिक आय है। मध्य में 28 प्रतिशत 86000–96000 वार्षिक आय है। तथा 13 प्रतिशत 61000–72000 वार्षिक आय है। तथा 08 प्रतिशत 73000–85000 वार्षिक आय है तथा 07 प्रतिशत 110000–150000 वार्षिक आय है।

स्वयं सहायता समूह में सर्वाधिक 75 प्रतिशत 0–1 धनोपार्जन करने वाले सदस्यों की संख्या है। मध्य में 24 प्रतिशत 2–3 धनोपार्जन करने वाले सदस्यों की संख्या है। निम्न में 01 प्रतिशत 3–4 धनोपार्जन करने वाले सदस्यों की संख्या है।

उत्तरदाताओं से प्राप्त ऑकड़ों के अनुसार स्वयं सहायता समूह में सर्वाधिक 70 प्रतिशत है। तथा बी0पी0एल0 परिवार के सदस्यों की संख्या 29 प्रतिशत है। तथा निम्न में अन्तोदय के परिवार के सदस्यों की संख्या 01 प्रतिशत है।

उत्तरदाताओं से प्राप्त ऑकडों द्वारा स्वयं सहायता समूह में नैनीताल बैंक में खोले गये खाते सर्वाधिक 70 प्रतिशत है। उसके पश्चात भारतीय स्टेट बैंक में 11 प्रतिशत खाते खोले गये हैं।

उत्तरदाताओं से प्राप्त ऑकडों के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह में सर्वाधिक 77 प्रतिशत मासिक बचत रू0 50 स्वयं सहायता समूह में करते हैं। तथा निम्न में 23 प्रतिशत मासिक बचत रू0 100 स्वयं सहायता समूह में करते हैं।

उत्तरदाताओं की स्वयं सहायता समूह में वर्तमान में कुल बचत राशि वाले 1250–2000 सर्वाधिक 40 प्रतिशत है। उसके पश्चात 400–600 कुल बचत राशि वाले 32 प्रतिशत हैं तथा 750–950 कुल बचत राशि वाले 28 प्रतिशत हैं।

उत्तरदाताओं से प्राप्त ऑकडों के आधार पर सर्वाधिक 85 प्रतिशत समूह में पेपर बैग का प्रशिक्षण प्राप्त किया हैं। मध्य में 10 प्रतिशत समूह में सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त किया हैं। निम्न में अन्य 05 प्रतिशत प्रशिक्षण प्राप्त किया हैं।

उत्तरदाताओं से प्राप्त ऑकडों के आधार पर सर्वाधिक 95 प्रतिशत समूह में बचत के उद्देश्य जुड़ेहैं। स्वरोजगार के उद्देश्य से जुड़ने वाले 10 प्रतिशत हैं।

उत्तरदाताओं से प्राप्त ऑकडों के आधार पर सर्वाधिक 75 प्रतिशत महिलाओं ने व्यवसायिक कार्य में किया है। तथा 25 प्रतिशत घर के कार्य में किया गया हैं।

उत्तरदाताओं से प्राप्त ऑकडों के आधार पर 88 प्रतिशत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर में लेखन का कार्य समझ में आता है

तथा अन्य 12 प्रतिशत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर में लेखन का कार्य समझ में नहीं आता है।

उत्तरदाताओं से प्राप्त आँकडों के आधार पर 100 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि समूह धन आवंटन में पारदर्शिता अपनाता है।

उत्तरदाताओं से प्राप्त आँकडों के आधार पर स्वयं सहायता समूह का बैंक के साथ सम्बन्ध 100 प्रतिशत अच्छा है।

उत्तरदाताओं से प्राप्त आँकडों के आधार पर स्वयं सहायता समूह के बारे में लोगों को जागरूकता सर्वाधिक 80 प्रतिशत है, तथा 20 प्रतिशत लोगों में स्वयं सहायता समूह के बारे में लोगों को कम जागरूकता है।

उत्तरदाताओं से प्राप्त आँकडों के आधार पर सर्वाधिक 88 प्रतिशत समूह के रजिस्टर में लेखन कार्य समझने वाली महिलाऐं हैं, तथा 12 प्रतिशत लेखन कार्य का नहीं समझने वाली महिलाऐं हैं।

उत्तरदाताओं से प्राप्त आँकडों के आधार पर सर्वाधिक 100 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह का बैंक के साथ सम्बन्ध अच्छा है।

उत्तरदाताओं से प्राप्त आँकडों के आधार पर सर्वाधिक 100 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह का बैंक के साथ सम्बन्ध अच्छा है।

उत्तरदाताओं से प्राप्त आँकडों के आधार पर सर्वाधिक 100 प्रतिशत महिलाओं की आजीविका में सुधार है।

उत्तरदाताओं से प्राप्त आँकडों के आधार पर सर्वाधिक 53 प्रतिशत लोगों को जागरूकता है तथा 47 प्रतिशत लोगों को जागरूकता कम है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

- उत्तरदाताओं की समस्याओं को जानने के पश्चात यह तथ्य सामने आया कि परिवार में एकल कमाऊ सदस्य होने के कारण अपने बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा इत्यादि दिलाने में समर्थ नहीं है। जिसके कारण उन्हे रोजगार सम्बन्धी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

स्वयं सहायता समूह की योजना के अलावा सरकारी संस्था/एनजीओ (संस्था) द्वारा अन्य योजनाए भी चलायी जा रही हैं। ग्रामीण लोग उनके बारे में जानकारी नहीं रख पाते है। इसके लिए सरकारी संस्थाओं/एनजीओ, के द्वारा प्रचार प्रसार के माध्यम का उपयोग करना चाहिए। दूरदर्शन, समाचार, अखबारों, टेलीविजन चैनलों, समाचार पत्र–पत्रिकाओं, के द्वारा प्रचार व प्रसार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जिनकी पहुॅंच ग्रामीण क्षेत्र एवं आम लोगों तक हो जिससे लोग सरकारी विभागों/एनजीओ द्वारा चलायी गयी अन्य योजनाओं के प्रति जागरूक हों तथा उनके हित के लिए चलायी जाने वाली अन्य योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।

- इस शोध से यह ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एवं एनजीओ (संस्थाओं) द्वारा चलायी जाने वाली लघु वित्त सेवाओं के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाऐं शत –प्रतिशत लाभान्वित हो रही हैं एवं उनकी आजीविका में शत–प्रतिशत सुधार आया है तथा संस्था द्वारा इस स्वयं सहायता समूह का क्रियान्वयन सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
- स्वयं सहायता समूह के शोध में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि महिलाऐं स्वयं सहायता समूह से शत–प्रतिशत लाभान्वित हुई हैं तथा स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है। जिससे उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है।

संदर्भ ग्रन्थ

- *राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 1982 : उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्याल, देहरादून*
- *सुरभि सेवा समर्पण संस्थान रायबरेली 2005 : साईटिफिक सोशियल सर्वे रिसर्च*
- *पहल संस्था काठगोदाम हल्द्वानी 2009 मार्गदर्शिका*
- *http://www. Nabard.org/*

राष्ट्र कल्याण में पं. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानवतावाद के सिद्धान्त की प्रासंगिकता

डॉ. मुहम्मद नईम*

भारतीय सनातनी परम्परा के प्रतीक, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, प्रखर राष्ट्रवादी, एकात्म मानवतावाद के प्रणेता, चिन्तक, कर्मयोगी, मनीषी पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय वसुन्धरा के एक ऐसे सुपुत्र थे, जिन्होंनें अपना सम्पूर्ण जीवन भारत राष्ट्र रुपी माता के कल्याण में होम कर दिया। उनके एकात्म मानवतावाद का सिद्धान्त समाज के कल्याण में सहायक है। दीनदयाल जी का मानना था कि जब तक समाज से अन्धविश्वास, रुढ़ियाँ और सम्प्रदाय के भेदभावों का निर्मूलन नहीं होगा, तब तक समाज की उन्नति नहीं हो सकती है। भारत को अखण्ड और खुशहाल बनाने के लिए समाज से इन कुरीतियों का उन्मूलन करना ही होगा। वे राष्ट्र की तुलना में व्यक्ति को तुच्छ मानते थे।

पं. दीनदयाल उपाध्याय जी का व्यक्तित्व और कृतित्व, निःस्वार्थ सेवा, बलिदान और परिश्रम की भावना अप्रतिम थी। उनके सेवा के कार्यों ने उन्हें मनुष्य से महापुरुष की श्रेणी में लाने का कार्य किया। वे भारतभूमि के यशस्वी लाल व धरती के पुण्य प्रताप थे। वे इस पावन धरा को समृद्धिशाली, आधुनिक राष्ट्र बनाने की कल्पना हमेशा किया करते थे। निःसंदेह वे कर्मयोगी थे। उनका मानना था कि भारत माता की कोख से जन्म लेने वाला हर व्यक्ति उसका बेटा और बेटी है, वो चाहे किसी धर्म या जाति का क्यों न हो? जो भारत में रहता है, यहां का अन्न, जल, ग्रहण करता है और यहां की हवा में सांस लेकर जीता है, वह कोई भी हो, भारतीय है। वह अपने को सच्चे ह्रदय से भारतीय समझे और राष्ट्रीय भावना को सर्वोपरि माने।

भारतीय वैदिक एवं सनातन परम्परा मानव को एकात्म मानती है। एकात्म का अर्थ, जिसको विभाजित न किया जा सके। विभाजित न की जाने वाली इकाई को एकात्म कहते हैं। मानव व्यक्ति के रुप में समाज का अंग

* *सहायक आचार्य, समाज कार्य विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ.प्र.)*

होता है। व्यक्ति, परिवार अपने ग्राम शहर या मुहल्ले के बिना नहीं रह सकता। ग्राम शहर के आगे भी देश दुनियाँ की इकाई है, व्यक्ति उन सभी समुदाय का हिस्सा है, इनसे स्वतंत्र नहीं है। एकात्म मानव का सुख व्यक्ति व समाज में बंटा हुआ नहीं, वरन् एकात्म होता है।

पं. दीनदयाल जी द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानवतावाद का चिन्तन सम्पूर्ण जगत को एक विशिष्ट देन है। दीनदयाल जी का मानना था कि व्यक्तिवाद अधर्म है। राष्ट्र के लिए कार्य करना ही धर्म है। राष्ट्र कार्य को साधने के लिए जो कुछ आ पडे, करना ही उचित है। चरवैति, चरवैति दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन का मूल मंत्र था, वे समाज के सभी वर्गों को अपना कर्म करने की शिक्षा देते थे। उनका मानना था कि यदि कोई जनसमुदाय पिछडा हुआ है, अशिक्षित है, निर्धन है, सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित है, तो उसे सक्षम बनाने के लिए सारे प्रयत्न करने चाहिए।

पं. दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन शाश्वत विचारधारा से जुड़ता है। इसके आधार पर वह राष्ट्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं। समस्याओं पर विचार करते हैं। उनका समाधान निकालते हैं। यह तथ्य ही भारत के अनुकूल प्रमाणित होता है। ऐसे में प्रथम बात यह समझनी होगी कि अन्य विचारों की भांति दीनदयाल उपाध्याय ने कोई वाद नहीं बनाया। एकात्म मानव, अन्त्योदय जैसे विचार वाद की श्रेणी में नहीं आते। यह दर्शन है, जो हमारी ऋषि परंपरा से जुड़ता है। इसके केंद्र में व्यक्ति या सत्ता नहीं है। जैसा कि पश्चिम या वामपंथी विचारों में कहा गया है। इसके विपरीत वह भारतीय वांडग्मय एवं वैदिक साहित्य के अनुरुप व्यक्ति, मन, बुद्धि, आत्मा सभी को महत्व देते थे।

उनका मानना था कि प्रत्येक जीव में आत्मा का निवास होता है। आत्मा को परमात्मा का अंश माना जाता है। यह एकात्म दर्शन है। इसमें समरसता का विचार है। इसमें भेदभाव नहीं है। वह कहते थे कि व्यक्ति का अपना हित स्वभाविक है, किन्तु यही सब कुछ नहीं है। उपभोगवाद से लोक कल्याण संभव नहीं है। इसमें व्यक्ति का भी कल्याण नहीं है। यदि ऐसा होता तो भौतिकवाद की दौड़ में कभी तो व्यक्ति को संतोष मिलता, किन्तु ऐसा नहीं

हुआ। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। व्यक्ति प्रारंभिक इकाई मात्र है, लेकिन वह परिवार का हिस्सा मात्र है। परिवार का हित हो, तो व्यक्ति अपना हित छोड़ देता है। समाज का हित हो तो परिवार का हित छोड़ देना चाहिये। देश का हित हो तो समाज का हित छोड़ देना चाहिये। राष्ट्रवाद का यह विचार प्रत्येक नागरिक में होना चाहिये। मानव जीवन का लक्ष्य भौतिक मात्र नहीं है। जीवन यापन के साधन अवश्य होने चाहिए। ये साधन हैं। साध्य नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का विचार भी ध्यान रखना चाहिये। सभी कार्य धर्म से प्रेरित होने चाहिये अर्थात लाभ की कामना हो, लेकिन कार्य शुभ होना अनिवार्य है।

दुबे, सुनील कुमार (2015) अपने शोध अध्ययन (पं. दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक चिन्तन, शोध प्रबन्ध, पृ.सं. 42) में लिखते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय सत्ताकांक्षी राजनीति के नहीं, वरन् राजनीति को तथा भारतीय लोकतंत्र को संस्कृति से आप्लावित करने के महत्वाकांक्षी थे। उनका यह जीवन व्रत उनके समस्त राजनीति व्यवहार में परिलक्षित होता है।

द्विवेदी संजय (2016) ने अपने शोध आलेख में लिखा है कि राजनीति में विचारों के लिए सिकुड़ती जगह के मध्य पं. दीनदयाल उपाध्याय का नाम एक ज्योतिपुंज की तरह सामने आता है। दीनदयाल जी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वे एक पत्रकार, लेखक, संगठनकर्ता, वैचारिक चेतना से लैस एक सजग इतिहासकार, अर्थशास्त्री और भाषाविद् भी थे। उनके चिंतन, मनन और अनुशीलन ने देश को 'एकात्म मानवदर्शन' जैसा एक नवीन भारतीय विचार दिया। सही मायने में एकात्म मानवदर्शन का प्रतिपादन कर दीनदयाल जी ने भारत से भारत का परिचय कराने की कोशिश की। विदेशी विचारों से आक्रांत भारतीय राजनीति को उसकी माटी की महक से जुड़ा हुआ विचार देकर, उन्होंने एक नया विमर्ष खड़ा कर दिया। अपनी प्रखर बौद्धिक चेतना, समर्पण और स्वाध्याय से वे भारतीय जनसंघ को एक वैचारिक और नैतिक आधार देने में सफल रहे।

दीनदयाल उपाध्याय जी रामचरित मानस प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रेरित होकर लिखते हैं कि सबके सुख में ही अपना सुख है। मानव

केवल एक व्यक्ति मात्र नहीं है। शरीर मन, आत्मा और बुद्धि का समुच्चय है। वह केवल 'मैं' तक सीमित नहीं है 'हम' से संबंध रखता है।

पं. दीनदयाल द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद दर्शन चिंतन जगत की एक अनूठी देन है। कृशकाय शरीर, दार्शनिकों जैसी भाव–भंगिमा वाले उपाध्याय जी एक कर्म योगी थे। सम्पूर्ण मानव के उत्थान के सपने संजोये हुये, वे शौर्यपथ के पथिक हुये और विश्व को विरासत में दे गये एकात्म मानववाद।

एकात्म मानववाद, तत्कालीन भारत में चलने वाले आन्दोलनों का मुख्य ध्येय था–मातृभूमि की स्वतंत्रता, किन्तु स्वतंत्रता के बाद देश की व्यवस्था कैसी होगी? इस पर विचार नहीं हुआ। इस पर विचार किया बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य में, मोहनदास करमचन्द गांधी ने हिन्द स्वराज में।

इसकी कल्पना प्रस्तुत करते हुये दीनदयाल जी ने लिखा कि "मेरे लिए राजनीतिक शक्ति, जनता के लिए एक साधन है, जिसके लिए वह जीवन के प्रत्येक विभाग में अपनी दशा सुधार सके। राजनीति शक्ति का अर्थ राष्ट्रीय प्रतिनिधि द्वारा राष्ट्रीय जीवन को विनियमित करने की क्षमता से है।" यदि राष्ट्रीय जनता स्वयं आत्मानुशासित हो जाये, तो किसी प्रतिनिधि की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं पर अपना शासन होगा, जो अपने पर ऐसा शासन करेगा कि वह अपने पडोसियों के लिए बाधा न बन सके। अतः एक आदर्श व्यवस्था में कोई राजनीतिक सत्ता नहीं होगी। इसी प्रकार अंग्रेजों के जाने के बाद देश की क्या राजनीतिक सत्ता होगी, इस मुद्दे पर लिखते हुये तिलक ने कहा कि "स्वराज्य से तात्पर्य है, अपने घर के मामलों का प्रबन्धन अपनी इच्छानुसार करना चाहिए। स्वराज्य के अभाव में औद्योगिक प्रगति, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक सुधार संभव नहीं" इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने समय–2 पर अपने विचार दिये, परन्तु उन्हें लागू करने में गंभीरता का अभाव रहा।

पं. दीनदयाल उपाध्याय ने समाज सेवा से राजनीति में भेजने पर अपने दायित्वों को स्वीकार करते हुये इसे राष्ट्र निर्माण का अंग मानने लगे। राष्ट्र निर्माण का चिंतन अनवरत् रूप से उनके जीवन में चलता रहा, किन्तु यह

उससे भी कई कदम आगे विश्व निर्माण की ओर बढ़ गया। तत्कालीन समय में राजनीतिक क्षेत्र में पश्चिम की विचारधारा सिर उठाने लगी थी। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना था कि हमारी मान्यताओं का हल इन विचारधाराओं में है। पं. दीनदयाल जी ने लोगों के इस भ्रम को तोड़कर एकात्म मानवतावाद दर्शन दिया, जो मानव को मानव से नहीं, बल्कि सम्पूर्ण सृष्टि के साथ एकात्म तादात्मय स्थापित करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने व्यक्ति को एक परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र को विश्व व विश्व को मानवता व प्रकृति के साथ जोड़ा है।

सृष्टि में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव है। उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को चार भागों में विभाजित किया गया है। शरीर, मन, बद्धि और आत्मा के सुख की महत्वपूर्ण भूमिका है और इन चारों अंगों के विकास के साथ ही मनुष्य का पूर्ण विकास होता है। पं. दीनदयाल जी ने शरीर, मन बुद्धि, आत्मा के अलग–2 सुखों को माना है।

शरीर का सुख– शरीर व्यक्ति का बाह्य अंग है, शरीर द्वारा प्राप्त सुख ही शारीरिक सुख है। इस सुख की अनुभूति इन्द्रियों के द्वारा होती है। व्यक्ति को यदि एक बार इन्द्रियों द्वारा प्राप्त सुख की अनुभूति हो जाती है तो वह उसे बार–बार प्राप्त करना चाहता है।

पं. दीनदयाल जी ने लिखा है–" लक्ष्य ही मनुष्य का मनुष्यत्व समझा जाता है। मनुष्यों का जीवन लक्ष्य होता है, पशुओं का नहीं। लक्ष्यहीन मनुष्य, मनुष्य नहीं होता है, इस लक्ष्य के कारण ही मनुष्य की विशेषता है। इसलिए इन्द्रिय तथा उससे प्राप्त सुख मनुष्य के लिये राजस सुख माना गया है। यह सुख क्षणिक होता है। आधुनिक समय में मानव ने भौतिक साधन जुटाना ही अपना लक्ष्य बना लिया है उसमें नये–नये अविष्कार करके भौतिक सुख सुविधाओं में निरन्तर वृद्धि की गई है।

मन का सुख– जब कोई व्यक्ति किसी को कष्ट देता है, तो उसके मन को ठेस पहुँचती है और जब कोई अच्छी घटना घटित हो जाती है, तो उसे सुख मिलता है। यह सुख मन का सुख है।

बुद्धि का सुख– यह सुख मन से भी ज्यादा उच्च श्रेणी का सुख है। मनुष्य बुद्धि के कारण अन्य प्राणियों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। सृष्टि के सभी प्राणियों को आहार निद्रा और मैथुन होता है, परन्तु मनुष्य में इसके अतिरिक्त बुद्धि भी होती है। जिस तरह शरीर, मन व आत्मा का सुख होता है उसी तरह बुद्धि का भी सुख होता है। उदाहरण के लिए परीक्षा के पहले छात्र परीक्षा की तैयारी करता है, जिससे बहुत से प्रश्न उसके अवचेतन मन में रहते है। मान लीजिए प्रश्न पत्र में ऐसा प्रश्न आ गया जो पढ़ा तो है पर विस्मृत हो गया है। बहुत सोचने–विचारने–मनन करने के बाद उत्तर आ जाता है यह सुख बुद्धि का सुख है।

आत्मा का सुख–आत्म सुख सर्वोदय कोटि का सुख होता है। आत्मा मानव के अस्तित्व का आधार है, परन्तु पाश्चात्य विचारक इस बात को स्वीकार नहीं करते, बल्कि उनके विचारानुसार मनुष्य पूर्णतः भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, जो नष्ट हो जाते हैं। इसमें आत्मा जैसे चेतन सत्ता का अस्तित्व नहीं रहता है। आत्मा का सुख मनुष्य व ईश्वर के बीच का साक्षात्कार का सुख है, जैसे भगवान बुद्ध ने कई वर्षों तक तप किया, पर उन्हें ज्ञान प्राप्त न हुआ, तब उनकी आत्मा में व्याकुलता व छटपटाहट बढ़ गयी और जैसे ही उन्हें आत्म ज्ञान हुआ उन्हें आत्मिक सुख की प्राप्ति हुई।

मनुष्य के लिए इन चारों सुखों को प्राप्त करना आवश्यक है। इनकी प्राप्ति में अन्तर स्वयं व्यक्ति नहीं समझ पाता है। जैसे किसी व्यक्ति को चार दिन से भोजन न मिला हो और उसे स्वादिष्ट भोजन मिल जाये तो वह सुखी होगा। किसी प्रश्न के लिए विद्यार्थी को उत्तर मिल जाये तो वह प्रसन्न होगा। बहुत दिनों से प्रियतम की राह देख रही प्रेमिका के सामने प्रेमी आकर खड़ा होगा तो उसे अनिर्वचनीय आनन्द की प्रप्ति होगी। यह सुख विविध प्रकार के होते है। पर व्यक्ति इसमें भेद नहीं कर पाता है। कौन सा सुख मन का है कौन–सा शरीर का, कौन–सा आत्मा का। इस प्रकार मनुष्य उस सर्वोत्कर्ष अवस्था में पहुँच जाता है, जहाँ से पूरा विश्व स्वरूप के रूप में दिखाई देता है। मानव की आत्मा विश्व की आत्मा में विलीन हो जाती है। अनेकता मिट जाती है और चराचर जगत की एकता के दर्शन होते है।

ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो केवल मनुष्य को ही जन्म नहीं दिया बल्कि अन्य प्राणी जैसे पशु–पक्षी वनस्पति आदि को भी जन्म दिया। पशुओं के भी अनेकों प्रकार बनाए, जैसे स्तनधारी, रेंगने वाले आदि। इसके अतिरिक्त पृथ्वी में खनिज सम्पदा भरी पड़ी है, जिसका अपना एक अलग महत्व है। मानव समष्टि का अध्ययन तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि इन प्राकृतिक वस्तुओं के साथ उनका एकात्म सम्बन्ध कायम नहीं हो जाता, परन्तु उसके अतिरिक्त भी भू–मण्डल पर अनेक जीवों का अस्तित्व है जो मानव जीवन व समष्टि के लिए उपयोगी है इसलिए पृथ्वी पर उनकी आवश्यकता है उनके न रहने से मानव को हानि होगी, फिर भी कुछ लोग इनके महत्व की नकार कर इनका अनावश्यक उपयोग कर रहें है और अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करके इनका तेजी से नाश कर रहे है। हम आज की सोच रहे हैं, कल की नहीं। हम नहीं जानते कि इनके अभाव में हमें कठिनाइयों का सामना करना पडेगा। इन जीवों का उपयोग इस तरह है, जैसे मेढ़क खेती के कीडों का नाश करता है, इसकी कमी से फसलों पर कीडों का प्रभाव बढ़ रहा है। सर्प वायुमण्डल की विषैली हवा को ग्रहण करना है, जिससे प्रकृति का सन्तुलन बना रहता है। प्रकृति में पेड़–पौधे अपना महत्व रखते है जैसे वे कार्बन डाई आक्साइड ग्रहण करते है और आक्सीजन छोड़ते है, जो मनुष्य की प्राणवायु है। पेड–पौधे पृथ्वी पर वर्षा करवाने में मदद करते है। इससे फल–फूल आदि प्राप्त होता हैं। आज वृक्षों की अत्याधिक कटाई हो रही है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। विश्व एक ओर तो पर्यावरण के प्रदूषण से परेशान है और दूसरी और अनावृष्टि से, इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है, वृक्षारोपण करना।

प्रकृति द्वारा प्रदत्त नियमों के अनुसार आचरण करना अति आवश्यक है। मानवेतर प्राणी, वृक्ष, भू–सम्पदा, प्राकृतिक पदार्थो का दोहन आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए। अन्यथा भविष्य में इसके भयंकर परिणाम होंगे। वर्तमान का कष्ट तथा भविष्य की भयंकरता को देखकर प्राकृतिक–वस्तुओं के साथ एकात्मकता का सम्बन्ध स्थापित करना होगा, जो व्यक्ति के सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। पं. दीनदयाल जी ने कहा है कि प्रकृति से हमें उतनी ही सामग्री इस ढंग से लेना चाहिए कि उसकी भरपाई प्रकृति अपने

ढंग से कर सके। मानव जीवन तथा उसके विकास में प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है, परन्तु इससे युद्ध करके, परस्पर शोषण करके, इसे प्राप्त नहीं करना चाहिए। हमारी यह भावना होनी चाहिए कि मनुष्य तथा प्रकृति दोनों एक दूसरे को अपने काम का समझ सकें। मानव प्राकृतिक सम्पदा का शोषण न कर इसका संवर्द्धन करें।।

पं. दीनयाल जी देश की परम्पराओं यथा, पतिव्रत, आतिथ्य भावना, सत्यवादिता, दानशीलता आदि के प्रति आस्था रखते थे। वे कहते थे कि विदेशी आकर्षण के कारण हम अपनी परम्पराओं से दूर जा रहे हैं, जो व्यक्ति और राष्ट्र के लिये हितकर नहीं है। वे देश में, अपने ही देश की परम्पराओं के प्रति श्रद्धावान थे, परन्तु बाह्रय देशों पर श्रद्धा के खिलाफ थे। जनजीवन के अन्य अनेक मूल्यवान तत्वों की भांति भारतीय संस्कृति के आदर्श ही देशवासियों को प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान पर अपना सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित किया था।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक सदस्य माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी एक स्थान पर लिखते हैं कि पं. दीनदयाल जी एक विपक्षी दल के प्रमुख व्यक्ति थे। उनका तो यह कर्त्तव्य ही था कि जो अनिष्ट देखे, जो कुछ त्रुटिपूर्ण दिखाई दे, उसके विषय में वे अपना मत स्पष्ट शब्दों में प्रकट करें। यह उन्होंने किया भी। परन्तु उनके सब लेखों को अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि उनके ह्रदय के अन्दर कोई कटुता नहीं थी। पं. दीनदयाल जी के शब्दों में भी कटुता नहीं थी। वे बड़े प्रेम से बोलते थे। वे किसी को राजनीति में शत्रु नहीं मानते थे। गोलवलकर जी कहते हैं कि, मेरा तो उनसे बहुत अच्छा सम्बन्ध था। वे कभी किसी पर जरा भी नाराज नहीं हुए। बहुत गलत होने पर भी गलत करने वाले के प्रति अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। ये युधिष्ठिर के समान थे। दुर्योधन में दुराक्षर था, इसलिए वे 'दुर्योधन' नहीं 'सुयोधन' कहा करते थे। दीनदयाल जी भी इसी परम्परा के थे, इसीलिए उनके शब्दों में, ह्रदय के अन्दर, तथा वाणी में भी कभी कटुता दिखाई नहीं दी।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारत में लोकतंत्र के उन पुरोधाओं में से एक हैं, जिन्होंने इसके उदार और भारतीय स्वरूप को गढ़ा है। उन्होंने

राजनीति में सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर प्रवेश नहीं किया था। इस सत्य को समझने के लिए उनके जौनपुर के उपचुनाव का अध्ययन किया जा सकता है। आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि चुनाव में कोई प्रत्याशी हारने के लिए भी खड़ा हो सकता है। लोग आश्चर्यचकित थे कि पराजित प्रत्याशी मतदाताओं का धन्यवाद करने और विजयी प्रत्याशी को लोकहित के कार्यों में सहयोग देने की घोषणा करते हुए आमसभा आयोजित कर रहा है। दरअसल, दीनदयाल जी का यह व्यवहार इसलिए था क्योंकि वह राजनीति में भारतीय संस्ःति के राजदूत थे। यह बात राजनीति के विद्वान तो मानते ही हैं, स्वयं दीनदयाल उपाध्याय का भी अपने विषय में यही मत था कि वह परम्परागत अर्थों में राजनेता नहीं हैं।

पं. दीनदयाल उपाध्याय अपने मौलिक विचारों के कारण भारतीय इतिहास में हमेशा–हमेशा याद किये जायेगे। वे एक विचारक, अर्थवेत्ता एवं मनीषी थे। उनके व्यक्तित्व पर भारतीय संस्कृति की अमिट छाप थी। उनके व्यक्तित्व पर भारतीय संस्कृति की भी अभिट छाप थी। वे विवेकानंद, बालगंगाधर तिलाक, श्री अरविंद जैसे राष्ट्रवादी कड़ी के रूप में माने जायेंगें।

पं. दीनदयाल उपाध्याय ने भारत के लिए एक योग्य व्यवस्था देने पर जोर दिया, जिसे हमारी संस्कृति में अर्थायाम कहा है। अर्थ के उत्पादन, स्वामित्व, वितरण तथा भाग की समुचित एवं संतुलित व्यवस्था अर्थायाम के प्रमुख अंग है। दीनदयाल जी का मानना था कि जिस प्रकार प्राणायाम मनुष्य के लिए आवश्यक है, वैसे ही राष्ट्र के लिए अर्थायाम की आवश्यकता है।

स्वतंत्रता एवं जनतंत्र में राष्ट्र व जनता को अपनी–अपनी आकांक्षाओं की प्रतिष्ठा तथा कर्तव्य पालन की आवश्यकता है। राजनैतिक जनतंत्र के साथ सामाजिक व आर्थिक जनतंत्र आवश्यक है। इन तीनों व्यवस्थाओं की एक दूसरे के बिना कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि ये तीनों ही अन्योनश्रित है। पं दीनदयाल उपाध्याय ने इस संबंध में कहा है कि ''जिस शासन प्रणाली को सामाजिक हितों के लिए बाधक न बनने का पथ्य रखते हुये इच्छानुसार उत्पादन व उपयोग कर सकता है उसी को आर्थिक स्वतंत्रता कहते है।'' साम्यवादी व्यवस्था में उत्पादन व उपभोग दोनों में, व्यक्ति को

कोई स्वतंत्रता नहीं होती आर्थिक स्वतंत्रता को प्रत्यक्ष व्यवहार में लाना ही होगा। काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को काम उपलब्ध करा देना शासन का प्रथम कर्तव्य है, यह शासन का दायित्व होना चाहिए। साथ ही उपभोग की स्वतंत्रता, व्यक्ति को सामाजिक मर्यादा में रहकर मिलती है।

इन सबसे ऊपर उठकर सम्पूर्ण व्यवस्था को संचालित करने का कार्य व्यक्ति या मनुष्य होता है मनुष्य को अपनी मन, बुद्धि, आत्मा व शरीर से निरंतर राष्ट्र हित में लगने की संस्कृति को विकसित करना होगा। उन्होंने ऐसी योजनाएँ लागू करने की बात की, जो समाज के विकास में सहायक है और हमारी जड़ों से जुड़ी हो। प्रत्येक देश की अपनी एक विचारधारा होती है, जो धर्म व संस्कृति से प्रकट होता है। कोई भी राष्ट्र अंधानुकरण नहीं करता। कोई भी राष्ट्र अंधानुकरण करके स्वावलंबी समृद्धपूर्ण जीवन नहीं जी सकता, इसके लिए अपनी जड़ों से जुडकर विकास की बात करना होगी, साथ ही उपयोग की स्वतंत्रता व्यक्ति को सामाजिक मर्यादा में रह करना चाहिए। यदि व्यक्ति उत्पादन करता हो, तब भी उसकी न्यूनतम आवश्यकताऐं पूरी होनी चाहिए। आर्थिक लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है, किन्तु इस दौड़ में व्यक्ति की उपभोग की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि अन्य लोगों की लोकतंत्रीय जीवन की सोच समाप्त हो जाती है। पूँजीवादी व्यवस्था में तो सम्पत्ति का प्रभाव बढ़ा, जबकि साम्यवादी व्यवस्था व्यक्ति की आजीविका को सुनिश्चित करती है। दोनों व्यवस्थाओं में कुछ लोगों के हाथों में सत्ता का केन्द्रीकरण होता है। केन्द्रीकरण प्रत्येक व्यवस्था में हानिप्रद होता है।

उन्होंने इस संबध में लिखा है कि ''आर्थिक विकेन्द्रीकरण राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के ही समान आवश्यक है, क्योंकि आर्थिक समस्याओं के विकेन्द्रीकरण होते ही समस्या हल हो सकती है। व्यक्ति एवं परिवार ऐसे आर्थिक विकेन्द्रीकरण के घटक हैं। व्यक्ति के प्रमुख व परिवार के स्वामित्व के आधार पर, अगर सम्पत्ति का निर्माण किया जाये तो आर्थिक विषमता व शोषण का प्रश्न ही न रहे। मनुष्य जब उत्पादन के नियमों के द्वारा उत्पादन करता है, तब उसे सामान्य व्यक्ति व परिवार के दो घटकों को, उत्पादन के

मूलभूत निर्माता घटक मानकर उत्पादन करना होगा। यह सब यथार्थ में लाने के लिए, परिवार के आधार पर चलने वाली उत्पादन प्रणाली का अवलंब उसको करना होगा।

आज के विश्व में शांति के अतिरिक्त सब है। भौतिक संपदा अटूट है, किन्तु आर्थिक विकास से व्यक्ति आत्म–विकास, आत्मोन्नति करना चाहता है, जो उसे प्राप्त नहीं हो रही है। वह नैतिक, आध्यात्मक शक्तियां जगाने का प्रयास नहीं कर सकता, किन्तु विश्व में शांति चाहता है और अपनी तमाम समस्याओं का समाधान चाहता है, जो पं.दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद में है। प्रसिद्ध विचारक दंतोपंत जी ने एक स्थान पर लिखा है कि ''पं. दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन विशुद्ध भारतीय उपज है। भारत की उन्नति एवं विकास का, विश्व के लिए, यदि कोई भारत का संदेश है तो वह उसमें निहित है। भारत की उन्नति एवं विकास का अगर कोई विशिष्ट मार्ग है तो उसे वहां ढूंढा जा सकता है। सच्चाई, सरलता, निर्मलता, सुख और दुःख में धैर्य रखना, निर्भयता, ब्रह्चर्य और मनुष्य का आत्म–साक्षात्कार, जीवन का सर्वोत्कृष्ट ध्येय है। विश्व चाहे इसे अव्यवहारिक काल्पनिक कहे, किन्तु यहीं एकात्म मानववाद की उपादेयता है।

24 सितम्बर 1916 को जन्मे तथा 11 फरवरी 1968 को गोलोकवासी हुए, पं. दीनदयाल उपाध्याय, न केवल महान् व्यक्ति थे, अपितु वे जनसंघ के भारतीय सनातनी परम्परा के अनुसार, एक मौलिक विचारक भी थे। उनके निधन से देश में एक ऐसी रिक्तता पैदा हुई, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। देश ने एक महान् देशभक्त और समर्पित आत्मा को खो दिया। श्री उपाध्याय की त्रासद मृत्यु अत्यंत स्तब्धकारी रही। वह जनसंघ के एक समर्पित और दृढ़प्रतिज्ञ कार्यकर्ता थे और संयमी तथा विचारशील तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे।

पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उनके देहावसान पर अपने शोक संदेश में कहा कि श्री उपाध्याय, जिनका अचानक और दुःखद परिस्थितियों, में निधन हो गया, ने सार्वजनिक जीवन में एक प्रमुख स्थान बना लिया था। वह दृढ़ आदर्शों वाले व्यक्ति थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी।

तत्कालीन सांसद एवं वामपंथी विचारक प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी ने श्री उपाध्याय को अजातशत्रु (जिसके शत्रु ने जन्म ही न लिया हो) की संज्ञा दी। अपनी अतिशय सादगी, निष्कपटता व सरलता के कारण समाज के सभी वर्गों में उन्हें काफी आदर की दृष्टि से देखा जाता था। एक राजनीतिक संगठन के रूप में जनसंघ से मुखर्जी के अपने मतभेदों के बावजूद उन्होंने कहा कि इसमें एक महान् विशेषता थी, जो सभी को आकर्षित करती थी और वह है भारतीयता की असली जड़ों की खोज; क्योंकि अपने अतीत को जाने बिना हम भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते।

कांग्रेसी नेता एस. वी. चव्हाण ने अपने शोक संदेश में कहा था कि श्री उपाध्याय ऐसे व्यक्तित्व थे, जिनमें आदर्श भारतीय नागरिक के सारे गुण थे। मूलतः वे एक सहज, सरल व कर्मठ कार्यकर्ता थे, जिससे उन्हें लोगों के साथ अपनापन स्थापित करने में सहायता मिलती थी। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण था कि उसके प्रभाव से कदाचित् कोई बच पाता था। वे अपने कठिन परिश्रम से आगे बढ़ते हुए इस उभरते व विस्तृत होते संगठन के सर्वमान्य नेता बने।

आज विश्व के सामने कई प्रकार की समस्यायें है। पूँजीवादी व्यवस्था अपने मूलरूप में नहीं हैं और साम्यवादी व्यवस्था समाप्त हो गयी है। आज आर्थिक समृद्धि की होड़ में प्राकृतिक सम्पदा का दोहन किया जा रहा है, जिससे अभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। बढ़ते हुये मशीनीकरण के कारण कुछ राष्ट्रों के सम्मुख बेकारी की समस्या खड़ी हुई। अमेरिका, फ्रांस, जर्मन और ब्रिटेन जैसे देश बेरोजगारी से जूझ रहें है। बेरोजगारों को काम देने के लिए अधिक हथियारों का निर्माण करना शुरू किया। इन समस्याओं का हल हम एकात्म मानवतावाद के सिद्धान्त में प्राप्त कर सकते हैं। पं दीनदयाल उपाध्याय के चिन्तन का सबसे प्रमुख पक्ष एकात्म मानववाद है, जिसके माध्यम से उन्होंने आधुनिक अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशात्र के लिए एक भारतीय धरातल प्रस्तुत किया। यह सिद्धान्त कोई दार्शनिक विवेचन मात्र नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष जीवन दर्शन से जुड़ा है। इसका व्यक्ति के आचार विचार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। व्यक्ति की वैचारिकता ही उसे कार्य करने को प्रेरित करती है।

आज के युग में भारत की आर्थिक–राजनीतिक–सामाजिक दशा को सुधारने में पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचार अत्यन्त प्रासंगिक है। आज देश में, जहाँ पर आर्थिक दृष्टि से समाज के वर्गो के बीच में बहुत बड़ी खाई है। आज जहां एक और धन का प्रभाव बहुत अधिक है, जो सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को निगल गया है। वही अर्थाभाव भी अपने वीभत्स रूप में विद्यमान है। पं दीनदयाल उपाध्याय अर्थ के अभाव व प्रभाव, दोनो के विरूद्ध थे, क्योंकि उनका मानना था कि अर्थाभाव में, व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाता है। धर्म के बिना व्यक्ति दुर्गुणयुक्त हो जाता है। समाज में दुर्बलों का शोषण करने लगते है। ऐसे समाजों को राष्ट्रों को विवश होकर सम्पन्न राष्ट्रों के कदमों में झुकना पड़ता है। इससे वे आर्थिक उपनिवेशवाद के शिकार हो जाते है, क्योंकि राजनीतिक दासता आर्थिक दासता की सहचरा हाती है। अतएव एकात्म मानवतावाद अत्यन्त आवश्यक है।

आज का संसार ऐसे समाज की खोज में है, जहाँ हिंसा न हो, अशांति न हो, जो नैतिकता, भाईचारे के आदर्श पर हो। जहां नैतिकता मनुष्य के क्रियाकलापों का माापदर्शक हो, जहाँ सर्वत्र, इन्सानों के मध्य आपसी सौहार्द हों, जहाँ रामराज्य की परिकल्पना परिलक्षित हो रही हो, ऐसे समाज व राष्ट्र के निर्माण में पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचार भी एक प्रेरणापुंज के रुप में युगों–युगों तक लोगों को दिशा दिखाते रहेंगें।

संदर्भ ग्रन्थ

- *दुबे सुनील कुमार 2015, पं0 दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक चिन्तन, शोध प्रबन्ध, पृ.सं. 42*
- *द्विवेदी संजय (25 सितम्बर, 2016), webdunia. com/ hindi- literature/ dindayal- upadhyay*
- *श्रीमती गाधी, शर्मा महेश चन्द्र (2016 सितम्बर 25): पं० दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय खण्ड पंद्रह, संपादक, प्रभात प्रकाशन, 4/19 आसफ अली रोड, नई दिल्ली पृ०सं० 177*
- *मुखर्जी प्रोफेसर हिरेन, शर्मा महेश चन्द्र (2016 सितम्बर 25): पं० दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय खण्ड पंद्रह, संपादक, प्रभात प्रकाशन, 4/19 आसफ अली रोड, नई दिल्ली पृ.सं. 202*
- *अग्निहोत्री दिलीप (2017), दीनदयाल उपाध्याय के विचार और दर्शन आज भी प्रासंगिक, https://www.prabhasakshi.com/column/thoughts-and-philosophy-of-deendayal- upadhyay.*